रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/20

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 2001 (श्रावण 27, 1923)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 2001 (SRAVANA 27, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सैंख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सू
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 2001

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो प्रतिभूतियाँ खो आदि गई हैं/नष्ट हो गई हैं और जिनके सम्बध में यह विश्वास आधार है कि वे खो गई हैं/नष्ट हो गई हैं और उनके आवेदको का दावा न्यायपूर्ण है उनकी फरवरी 2001 की समाप्त माह का इ- फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इडिया (इशू एड मैनेजमैंट ऑफ बाण्ड्स) रेगुलेशन 1949 के विनियम 10 के अनुसार इसके द्वार दावेदारों के नाम दिये गये हैं उनको छोड़कर अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो, को चाहिए कि इ लोक ऋण कार्यालय, नई दिल्ली को तुरन्त सूचित करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गई है।

सारणी दो भागों में विभाजित-सारणी "अ" जिन प्रतिभूतियों को प्रथम बार विज्ञापित किया जा रहा है-सारणी प्रतिभूतियाँ।

सारणी-अ

प्रतिभूतियों की सं	ऋण का नाम/मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम
(i) डी एच-000818 8 75%	एक लाख रुपये (आई एफसीआई 2000)	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	केवल आखिरी किश्त बकाया	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी भवि निधि
(ii) डी एच-000819 8 75%	-वही-	-वही-		

सारणी "बी" कोई नहीं

[illegible] कार्यालय
[illegible]म और विकास विभाग
[illegible] - 1 विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005

संदर्भ : बैंपविवि. सं. 39 /08:21:001/2001 4 जुलाई 2001

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 23) की धारा 19 की उप धारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जगदीश कपूर के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. वाइ. वी. रेड्डी को 4 जुलाई 2001 से भारतीय स्टेट बैंक के एक निदेशक के रूप में मनोनीत किया है।

जी. पी. मुनिअप्पन

(जी. पी. मुनिअप्पन)
उप गवर्नर

भारतीय स्टेट बैंक
कारपोरेट केंद्र
मुंबई : 17 मई 2001

क्रमांक : एस एण्ड पी/82

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 के अंतर्गत बनाई गई भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली 1955 के विनियम 76 (1) के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों को एतद्द्वारा निम्नानुसार हस्ताक्षर करने संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :

अधिकारियों की श्रेणी	हस्ताक्षर करने संबंधी अधिकार
शाखा प्रबंधकों, उप प्रबंधकों, प्रभागीय प्रबंधकों, लेखाकारों और क्षेत्र अधिकारियों के रूप में नामित अधिकारियों के अलावा कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - I के अधिकारी.	ड्राफ्टों, बैंकर्स चेकों, गारंटियों एवं साख पत्रों, तार अंतरण पुष्टि सूचनाओं, जवाबी अंतरण सूचनाओं (वसूली हेतु प्राप्त लिखतों का भुगतान) एवं तार भुगतान सूचनाओं आदि जैसे लिखतों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार.
	क) एकल रूप से हस्ताक्षर करते समय
	50,000/ रुपये से कम की राशि हेतु
	ख) 50,000/ रुपये या उससे अधिक के लिखतों पर हस्ताक्षर करने के संपूर्ण अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से
	असीमित राशियों हेतु

बैंक के वे सभी अधिकारी, जिन्हें कार्य के निष्पादन हेतु हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिकार प्रदान किए गए हों, जहाँ कहीं भी कार्यरत हों, अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे.

हस्ताक्षर करने सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में वर्तमान अधिसूचनाएं उपर्युक्त आशोधन के अधीन लागू बनी रहेंगी और उस सीमा तक लागू बनी रहेंगी, जब तक वे इस अधिसूचना में जो कुछ भी उल्लिखित किया गया है, उसके प्रतिकूल नहीं हों.

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति के आदेशानुसार

राघवेन्द्रन

प्रबंध निदेशक

सं0 पीएनबी/डीएसी/पी/1/2001
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

दिनांक : जुलाई 30, 2001

शुद्धिपत्र

दिनांक 5.5.2001 के भारत के राजपत्र संख्या 18 के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.3.2001 सं0 पीएनबी/डीएसी/पी/1/2001 के शुद्धिपत्र के रूप में दिनांक 26.3.2001 की उक्त उल्लिखित अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के अंतिम पैरा की चतुर्थ पंक्ति को जोकि "पारिश्रमिक, मानदेय ऐसे किसी रूप मे नकद अथवा इस प्रकार" को संशोधित कर निम्नानुसार पढा जाए :

"पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप मे नकद अथवा इस प्रकार"

(के0 एन0 पृथ्वीराज)
महाप्रबन्धक

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय

41/2 एम जी रोड, ट्रिनिटी सर्कल, बेंगलूर 560 001

बेंगलूर, दिनांक 25 .07. 2001

सं. [illegible]/2258/2001. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम, 1980 [illegible] की धारा 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, [illegible] बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्;

1 (1) इन विनियमों को विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) संशोधन विनियम, 2001 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.

2. विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 में विनियम 20 में , उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा अर्थात्;

" (4) एक अधिकारी कर्मचारी को, अपनी खुद की अथवा उसके द्वारा धारित ऐसी चल संपत्ति से संबंधित हर एक लेन देन के बारे में, चाहे ऐसी संपत्ति उसके नाम हो या उसके परिवार के सदस्य के नाम, सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना होगा बशर्ते कि ऐसी संपत्ति की कीमत 25,000/ रु से अधिक हो।"

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ऐसी अवस्था में लेनी होगी अगर ऐसा कोई लेन-देन -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया हो जिसका अधिकारी कर्मचारी के साथ शासकीय व्यवहार हो, अथवा

(ख) नियमित अथवा प्रतिष्ठित व्यापारी से भिन्न किसी दूसरे व्यापारी के जरिए किया गया हो.

के. अमरनाथ शेट्टी

(के. अमरनाथ शेट्टी)

महा प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन)

बैंक ऑफ इंडिया

मुम्बई, दिनांक 23.07.2001

Ref. No.

संख्या.आईएल:2001-02. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन विनियमों को बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, २००१ कहा जा सकेगा.

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.

२. बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में विनियम ६ में, उप-विनियम (२) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात जांच प्राधकारी कहा गया है) को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा.

स्पष्टीकरण :

जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-विनियम (8) से लेकर उप-विनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है."

* जे. एस. दलाल *
उप महाप्रबंधक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
औद्योगिक संबंध विभाग
केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरिमन पौइंट, मुंबई – 400 021

दिनांक 11.11.2000

सं 3(ए)/11.11.2000 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन, 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमन बनाता है नामत :

1. (i) इन विनियमनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियमन 2000 कहा जा सकेगा.

(ii) ये विनियमन राजपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे.

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन (1976) में

(i) विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः–

"प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाए करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो."

(ii) विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः–

"बशर्ते कि, जहां ऐसे निदेश मौखिक रूप से दिए जाएं, इन निदेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी."

(iii) विनियम 6 के उप–विनियम (i) में विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

"किन्तु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धर्मार्थ, अवैतनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसे न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा"

(iv) विनियम 6 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए गये किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा."

(जी.आर.आनंद)
महा प्रबंधक(का)

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली

शुद्धि पत्र **दिनांक: 25.06.2001**

भारत के राजपत्र, जनवरी, 6,2001 (पौष 16,1922) के भाग-III खण्ड-4 पृष्ठ 25 पर प्रकाशित अधिसूचना में चिकित्सा प्राधिकारी का नाम डा. आर.पी.रेगे व उनकी कार्यकाल अवधि 1.10.2000 से 30.9.2001 या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक पढ़ा जाए

स० सिंह
(डा.(श्रीमती) एस.सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 6-7-2001

संख्या: एन-1 5/13/12/6/96-यो0एंव वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम- 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

"बीकानेर नगर पालिका की विस्तारित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एन. आर. धिन्वर

(एन. आर. धिन्वर)
निदेशक (यो. एंव वि.)

नई दिल्ली, दिनांक: 10.7.2001

संख्या: एन-15/13/14/15/99-यो०एंव वि०

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम- 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

"जिला डिन्डीगल में वड़मदुरै क्षेत्र में तालुक डिन्डीगल के अधीन आने वाले राजस्व ग्राम: सेन्कुरूचि, केम्बलियंपट्टी, पंगमानुतु, मडूर, पेरियकोट्टै, कोविलूर, तामरैपाडि, अम्मकुलतुपट्टी, मुल्लीपाडि तथा तालुक वेदसन्तूर में वडमदुरै, तन्नमपेट्टी, पागणताम, कोम्बेरिपेट्टी, पिलातु, कोलपेट्टी, मो[illegible], पत्तूर, वेलाइदम पालयम, सिंगारकोट्टै, कम्पाडि, वैलवरकोट्टै तथा पाडियूर" ।

(एन. आर. धिन्वर)
निदेशक (यो. एंव चि.)

नई दिल्ली, दिनांक: 21.7.2001

संख्या: एन-15/13/6/4/2000-पी0एंड डी0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

"जिला मलप्पुरम के तिरूर तालुक में राजस्व ग्राम कट्टीपरूत्ति और उत्तलनाड़ और पोनानी तालुक में राजस्व ग्राम ईडप्पाल के अधीन आने वाले क्षेत्र"।

(एन. आर. धिन्गर)
निदेशक (पी0एंड डी0)

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-66

2 6 JUN 2001

सं0/1959/डी0एल0आई/एक्सम/98/भाग-I / 357 दिनांक:-

सा0 का0 मे0 टाटा इंटरनेशनल लि0, ब्लाक-ए शिवसागर इस्टेट, डा0 ऐनी0 मार्ग, वरली मुंबई-400018 तथा शाखा कोड सं0 एम.एच/6659 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इस के पश्चात अधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हु कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में उक्त स्थापना की लाईफ कवर स्कीम का लाभ उठा रहे है, जो कि ऐसे कर्मचारियों के कम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभो से अधिक अनुकूल है जिसे इसमे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं0 2/1959/डी.एल.आई/एक्सम/89/पार्ट-I दिनांक 16.6.93 के अनुसरण में तथा संलग्नअनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के संचालन में उक्त स्थापना को आगे के लिए छूट प्रदान करता हु दिनांक 1.3.93 से 28.2.2002 तक लागु होगा जिसमें यह तिथि 2002 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है, तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. लाईफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारि को उस लाईफ कवर स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. उक्त स्थापना भारतीय स्टेट बैंक में उचित शीर्षक/जिसको लाईफ कवर फंड कहा जाता है। के अन्तर्गत 5 लाख रुपये जमा करेगी और नियोक्ता समय समय पर कमी को पुनः पूर्ति करना सुनिश्चित करेगा ताकि किसी भी समय लाईफ फंड का राशि 5 लाख रुपये से कम ना हो। यदि किसी कारण से नियोक्ता लाईफ कवर फंड पुनः पूर्ति करने में असफल होता है तथा इसकी राशि 5 लाख रुपये से कम हो जाती है तो दी गई छुट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत्यु सदस्यों के नाम निर्देशों या विधिक वारिसों को जो शीघ्र यह छुट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा जब भी हमारे एक्चुरी द्वारा प्रीमियम रेट बढ़ाया जायेगा शार्ट मनी भी बढ़ाई जायेगी।

ह (के. वी. त्रिवेदी) ह

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

सा० का०........................ चूंकि मै० लैदर रबर इन्डस्ट्रिज इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट ..
प्लोट, वेस्ट हिल कोजोकोड-673005 (केरला) . केआर/केके/1186 ....
को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 2(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई है ।

और नियोक्ता ने ..30.11.2000... तक कि मास्टर पोलिसी पुन: नवीनिकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1.7.2000 .. से छूट रद्द करता है

(के. ऐ. त्रिपाठी)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

गंगा यमुना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम - 2001

प्रादैशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा यमुना ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) का निदेशक मण्डल भारतीय स्टेट बैंक (प्रायोजक बैंक), जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

(AWTAR KRISHAN)

3--199 GI/2001

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

(I) ये विनियम गंगा यमुना ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 (वर्ष) कहलाएगें।

(II) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(III) ये बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे।

परन्तु यह कि ये, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या निदेशक मण्डल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक

(क) दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति पर,

(ख) प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाऐं –

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो–

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "नियत दिन" से सितम्बर 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विनियम 5 (1) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "क्षेत्र प्रबंधक" से तत्समय क्षेत्र कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

(ड.) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित गंगा यमुना ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) अभिप्रेत है।

(च) "निदेशक मण्डल" से बैंक का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है।

(छ) "शाखा प्रबन्धक" से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है।

(ज) "कैलेण्डर वर्ष" से किसी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष और कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष द्वारा पदनामित अधिकारी अभिप्रेत है।

(ञ) "ड्यूटी" में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) परिवीक्षाधीन (व्यक्ति) के रूप में सेवा;

(ख) वह अवधि; जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पर हैं;

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि; और

(घ) सेवा के दौरान प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि।

(ट) "परिलब्धियों" से संवेतन और भत्तों का, यदि कोई हो, जोड़ अभिप्रेत है।

(ठ) "कर्मचारी" से विनियम 3 (क) (2) और (3) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से अन्य संगठनों को उधार दी जाती हैं।

(ड) "परिवार" से अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी/का पति (यदि पति/पत्नी भी बैंक का/की अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) और अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी संतान, माता–पिता, भाई और बहनें, जो पूर्णतः अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत विधिक रूप से पृथक पति/पत्नी शामिल नहीं हैं।

(ढ) "अधिकरी" से विनियम 3 (क) (1) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ण) "वेतन" से अवरोध वेतनवृद्धियों और परिलब्धियों के किसी भाग सहित, जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, किसी वेतन–मान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किया जाने वाला मूल वेतन अभिप्रेत है।

(त) "संवेतन" से वेतन और मंहगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है।

(ध) "प्रायोजक बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है और

(द) "वरिष्ठ प्रबंधक" से प्रधान कार्यालय में किसी विभाग का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी, जिसका रैंक स्केल–II के अधिकारी से कम न हो, अभिप्रेत है।

अध्याय - 2

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति, परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति

3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण

(क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा

(1) समूह–क अधिकारी संवर्ग

I) स्केल – I

II) स्केल – II

III) स्केल – III

किसी वेतनमान के संबंध में पदनाम इस प्रकार होगा

I) अधिकारी

II) शाखा प्रबन्धक

III) क्षेत्र प्रबन्धक

IV) वरिष्ठ प्रबन्धक

और ऐसे अन्य वेतनमान और पदनाम, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन से समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) समूह–ख लिपिकीय संवर्ग

लिपिकीय संवर्ग अर्थात् लिपिक–सह खजांची, लिपिक–सह–टंकक, आशुलिपिक और ऐसी अन्य श्रेणियां, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमोदन से समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) समूह–ग अधीनस्थ संवर्ग

(क) अधीनस्थ स्टॉफ अर्थात् संदेशवाहक, संदेशवाहक–सह–सफाई कर्मचारी, ड्राईवर–सह–संदेशवाहक, अंशकालिक संदेशवाहक–सह–सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और ऐसी अन्य श्रेणियां, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) इस विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों के सभी संवर्गों या श्रेणियों का हर समय बैंक में कार्यरत होना अपेक्षित है।

4. अस्थायी कर्मचारी

इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अध्यधीन, जो समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा जारी किया जाएं, किसी विशिष्ट जरूरत या परिस्थिति से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को लिपिकीय संवर्ग और/या अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष में 60 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर नियोजित कर सकता है।

परन्तु यह कि तदर्थ और/या अस्थायी आधार पर ऐसी नियुक्तियां प्रायोजक बैंक के परामर्श से की जाएंगी।

5. बैंक की सेवा में नियुक्ति

(1) अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा। कर्मचारियों के संबंध में महाप्रबन्धक नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

परन्तु यह कि यदि महाप्रबन्धक के पद पर कोई पदधारी न हो, तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(2) बैंक में सभी नियुक्तियां विनियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(3) बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को बैंक द्वारा यथा निर्धारित या मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) (I) अनर्हता – ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो,

अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह करने का करार किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

(II) घोषणा

बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अनुसूची–II के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

6. वेतन–मान और भत्ते

विनियम 3 में उल्लिखित किसी भी समूह में किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी का वेतन–मान, भत्ते और वेतनवृद्धियां उस प्रकार की होंगी, जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्धारित की जाएं।

7. सेवा का प्रारम्भ

बैंक में नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा, उसे दिए गए नियुक्ति के प्रस्ताव के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी पद पर ड्यूटी के लिए उसके रिपोर्ट करने के कार्य दिवस से आरम्भ होगी।

परन्तु यह कि यदि वह ऐसे कार्य दिवस के अपराह्न में कार्यग्रहण करता है, तो वह उस दिन का वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

8. परिवीक्षा

(I) स्केल–I में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(II) अधिकारी संवर्ग के स्केल–I में किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(III) उच्चतर स्केल में पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(IV) (क) लिपिकीय या अधीनस्थ संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अधीनस्थ संवर्ग का कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में किसी पद पर पदोन्नत किए जाने पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन महीने से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(V) किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि, उसके द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी की मात्रा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस अवधि के दौरान उसका कार्यनिष्पादन असंतोषजनक होने पर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर बढ़ाई जा सकेगी।

9. स्थायीकरण

(I) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी अधिकारी या कर्मचारी में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, तो उस अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा।

(ii) यदि परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि अधिकारी या कर्मचारी सक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो :

(क) सीधे नियुक्ति किए गए अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसकी सेवाऐं एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) बैंक की सेवा से पदोन्नत किए गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसे उसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था।

10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति

1. (क) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़ने या आगे जारी न रखने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व नोटिस दिए बिना बैंक में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेगा।

(ख) नोटिस की अपेक्षित अवधि इस प्रकार होगी :–

(i) किसी अधिकारी के मामले में तीन महीने और

(ii) किसी कर्मचारी के मामले में एक महीने।

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उप–विनियम। (ख) के भंग के मामले में, उसे बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में, उससे अपेक्षित नोटिस की अवधि के उसके वेतन के बराबर रकम का भुगतान करना होगा।

2. उप–विनियम (i) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना बैंक की सेवा छोड़ नहीं सकेगा अथवा त्यागपत्र नहीं दे सकेगा और अनुशासनिक कार्यवाहियों से पूर्व या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र का कोई भी नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए।

स्पष्टीकरण

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया हो या उसे यह कारण बताने का कोई नोटिस जारी किया गया हो कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां क्यों न शुरू की जाएं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को लंबित माना जाएगा।

11. अधिवार्षिता और सेवा निवृत्ति

(1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, इसमें इसके पश्चात् उप–विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर, अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या बैंक में 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो, किसी भी समय सेवा निवृत्त कर सकता है।

परन्तु यह भी कि इस उप–विनियम के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तब तक सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिकारी के मामले में कम से कम तीन महीने पहले और कर्मचारी के मामले में एक महीने पहले उसे लिखित में नोटिस न दे दिया जाए या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उसके बदले अधिकारी के मामले में तीन महीने के बराबर और कर्मचारी के मामले में एक महीने के बराबर धनराशि न दे दी जाए।

परन्तु यह भी कि उप–विनियम (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष के आदेश से असंतुष्ट अधिकारी या कर्मचारी आदेश दिए जाने के एक महीने के भीतर अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध बोर्ड को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसा अभ्यावेदन मिलने पर बोर्ड तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा। जहाँ बोर्ड यह निर्णय लेता है कि अध्यक्ष द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित नहीं है, उस मामले में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी इस तरह से बहाल कर दिया जाएगा, जैसे की अध्यक्ष ने कोई आदेश ही न दिया हो।

2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक ऐसी विशेष पुनरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो यह पुनरीक्षा करेगी कि उप–विनियम (1) के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं। यह समिति प्रत्येक ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले की समय–समय पर पुनरीक्षा करेगी और अध्यक्ष को सिफारिश करेगी।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए वह अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी जन्म–तिथि महीने की पहली तारीख हो, अधिवार्षिता की आयु पूरी होने वाले महीने के पिछले महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी कैलेण्डर माह के दौरान पहले दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन अधिवार्षिता की आयु पूरी करता है, वह उस महीने के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होगा।

अध्याय - 3

सेवा–रिकार्ड, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन

12. सेवा–रिकार्ड

बैंक द्वारा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए स्थान या स्थानों पर सेवा–रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा और उसमें निर्धारित जानकारी निहित होगी।

13. वरिष्ठता

(I) बैंक उप–विनियम (3), (4), (5) और (6) के उपबंधों तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अध्याधीन अधिकारी या कर्मचारी के प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां तथा संवर्ग के अन्तर्गत संवर्ग–वार सूचियां रखेगा।

(II) इन वरिष्ठता सूचियों को बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जाएगी एवं उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा इन्हें अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के बीच परिचालित किया जाएगा।

(III) (क) किसी संवर्ग या वेतनमान में पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना उस संवर्ग या वेतनमान में उसकी नियुक्ति की तारीख के सन्दर्भ में की जाएगी।

(ख) जहाँ उस संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहाँ उनकी परस्पर वरिष्ठता की गणना उनकी इससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के सन्दर्भ में की जाएगी।

(ग) जहाँ ऐसे पूर्ववर्ती संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहाँ उनकी वरिष्ठता उससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, के सन्दर्भ में निर्धारित की जाएगी।

IV) जो भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी या शाखा प्रबन्धक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के पत्र संख्या एफ–2/17/79–आर आर बी द्वारा परिचालित संशोधित वेतनमानों को बैंक द्वारा अपनाए जाने की तारीख को बैंक की सेवा में थे, शाखा प्रबन्धकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की गणना इस तरह की जाएगी कि सभी भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी और/या लेखाकार तत्कालीन मौजूद शाखा प्रबन्धकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक में होंगे, बशर्ते कि सरकार के दिनांक 22 फरवरी, 1991 के पत्र संख्या 11–3/90–आरआरबी (I) से ठीक पहले मौजूद संवर्ग या वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता वही रहे।

V) किसी संवर्ग या वेतनमान में किसी बैंच में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों या कर्मचारियों की पारस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के संन्दर्भ में की जाएगी। बशर्ते कि यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के सहत भर्ती किए गए अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित किए जाते हैं तो एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करने वाली अभ्यार्थियों की परस्पर वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के लिए आनुमानिक अंक जोड़े बिना ऐसे अभ्यार्थियो द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14. पदोन्नति

सभी पदोन्नतियां बैंक के स्वनिर्णय से की जाएंगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति के लिए अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकता है।

परन्तु यह कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

15. प्रत्यावर्तन

कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे अपेक्षाकृत उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या जहाँ उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थायीकरण किसी विशिष्ट अवधि या अन्यथा परिवीक्षा में रहने के अध्यधीन हों, वहाँ उसे बिना नोटिस दिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने या परिवीक्षा से किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

अध्याय - 4

आचरण, अनुशासन एवं अपील

16. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की गुंजाइश

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसकी सेवाऐं बैंक को प्रदान की जाएंगी तथा वह बैंक को उसके कारोबार में उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके न्याय–निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो, के निर्देशानुसार क्षमता और स्थान पर सहायता देगा।

17. विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का दायित्व

बैंक का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा और उनका अनुपालन करेगा तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर दिए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का भी अनुपालन करेगा, जिनके न्याय–निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो।

18. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों के बैंक सम्बन्धी कार्यों के मामलों के सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की सूचना को जनता के किसी व्यक्ति या बैंक के किसी कर्मचारी पर तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक वह न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु ऐसा करने के लिए न कहा जाए। इसे सूचित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची सं0 1 में यह घोषणा करेगा।

19. बैंक–हित को बढ़ाने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करेगा और बैंक का हित बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा तथा सरकारी अधिकारियों, बैंक के ग्राहकों के साथ लेन–देन करते समय शिष्टाचार दिखाएगा एवं उन पर ध्यान देगा।

20. प्रेस, रेडियों आदि का योगदान

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में प्रेस या रेडियों या दूरदर्शन आदि के लिए कोई भी लेख नहीं देगा और ऐसी मंजूरी के बिना ऐसे किसी दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा, जो उनकी सरकारी क्षमता में उसके अधिकार में है।

21. अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बाहर के रोजगार या व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय बढ़ाने में भाग न लेना।

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी क्रियाकलाप, रोजगार या कार्यालय, चाहे वह वेतनभोगी हो या अवैतनिक, को स्वीकार, उसके लिए अनुरोध या मांग नहीं करेगा।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना किसी सामाजिक या धर्म–दाय स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक प्रकृति का आकस्मिक कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि उससे उसके कार्यालयीन कार्यों में कोई बाधा न पहुँचे।

परन्तु यह भी कि उस कार्य को वह हाथ में नहीं लेगा या उसे करना बन्द कर देगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाए।

स्पष्टीकरण

(I) अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य यदि किसी व्यापार या किसी कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसका प्रबन्ध करता है तो वह इसकी सूचना बैंक को देगा।

(II) किसी बीमा एजेन्सी या कमीशन एजेन्सी के जो उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या प्रबन्ध के अधीन हो, व्यापार में सहायता के लिए प्रचार करने के कार्य को इस उप विनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(III) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना और अपने अधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिति के, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

(IV) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक संस्था या प्राईवेट व्यक्ति से उसके लिए अपने द्वारा किए गए किसी काम के बदले कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा।

22. अधिकारी या कर्मचारी का अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होना या उपस्थिति में देर न करना

(I) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में समुचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा।

(II) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रखता है या मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो वह ऐसा अनुपस्थिति या अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन एवं भत्ते लेने का हकदार नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित या अधिक छुटटी में रहा जो उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी को अनदेखी कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छुट्टी को स्वीकार्य छुट्टी द्वारा नियमित किया जाए।

23. स्टेशन से बाहर रहना

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अन्य मामलों में शाखा प्रभारी या प्रभारी अधिकारी या शाखा प्रबन्धक का कार्यभार लेता है तो वह अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना रात भर मुख्यालय से बाहर नहीं रह सकता।

24. उपहार और दहेज स्वीकार करने से मनाही

(I) कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो स्वयं बैंक के किसी ग्राहक से या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा।

(II) कोई अधिकारी या कर्मचारी :–

(1) दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा या दहेज लेने के लिए नहीं उकसाएगा या

(2) दुल्हन या दूल्हे के माता–पिता या संरक्षक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज नहीं मांगेगा।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में है।

25. स्टॉकों, शेयरों आदि में सट्टेबाजी

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टॉकों, शेयरों, प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

परन्तु यह विनियम किसी रूप में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने तरीके से अपनी निधियों का प्रमाणिक निवेश करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

किसी संस्था के स्टॉकों, शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तु की जल्दी–जल्दी क्रय या विक्रय करना इस विनियम के प्रयोजन के लिए सट्टेबाजी माना जाएगा।

26. कर्ज लेने और देने तथा निवेशों पर प्रतिबन्ध

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से :–

(I) किसी दलाल या साहूकार या बैंक के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, फर्म कंपनी या संस्था से, चाहे यह निगमित हो या न हो, जिसके साथ बैंक का लेन–देन का व्यवहार हो, कर्ज नहीं लेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्ज लेने की अनुमति नहीं देगा या अन्यथा स्वयं को या अपने किसी परिवारजन को किसी आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा।

(II) किसी बिक्री के मामले में डिलीवरी या स्क्रिप्स की खरीदारी के मामले में पूरी कीमत चुकाने के लिए धन के बिना स्टॉकों, शेयरों या किसी भी तरह की प्रतिभूतियों की खरीद–फरोख्त नहीं करेगा।

(III) किसी घुड़दौड़ के समय ऋण नहीं लेगा।

(IV) बैंक के किसी संघटक को निजी हैसियत में कर्ज नहीं देगा या विनियम पत्रों, सरकारी ऋण पत्र या किन्हीं अन्य प्रत्याभूतियों की खरीद–फरोख्त में ऐसे संघटक से कोई व्यक्तिगत लेन–देन का व्यवहार नहीं रखेगा। और

(V) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक बाध्यताओं की गारंटी नहीं देगा या उस हैसियत में किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होगा।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र से बिना ब्याज की कम रकम वाला बिल्कुल अस्थायी कर्ज ले सकता है या उन्हें दे सकता है, या किसी वास्तविक व्यापारी के पास उधारखाता खोल सकता है या अपने किसी निजी कर्मचारी का वेतन अग्रिम दे सकता है।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी किसी ऐसी सहकारी उधार सोसायटी से ऋण प्राप्त कर सकता है जिसका वह सदस्य हो या जिस सहकारी उधार सोसायटी का वह सदस्य हो, उससे किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानत दे सकता है।

2. कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने निजी कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालिएपन या आदतन ऋणग्रस्तता से बच सके। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो ऋणग्रस्त हो, सक्षम प्राधिकारी को 30 जून एवं 31 दिसम्बर को अपनी छमाही स्थिति का विवरण हस्ताक्षर करके देगा और विवरण में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख करेगा। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इस नियम के तहत झूठा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण नहीं दे पाता या जो उचित समय–सीमा के अन्दर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है या बचाव के लिए दिवालिएपन से सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन करता है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – 1 : इस नियम के प्रयोजन से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऋणी समझा जाएगा अगर उसकी कुल देयताएँ पूरी तरह से सुरक्षित देयताओं को छोड़कर, बारह माह के मूल वेतन से अधिक हैं।

स्पष्टीकरण – 2 : किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पर्याप्त समय के भीतर अपने ऋण परिसमाप्त करने में असमर्थ समझा जाएगा अगर उसके निजी संसाधनों एवं अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह दो वर्षों की अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा।

27. चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

1. प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी अस्तियों एवं देयताओं से सम्बन्धित एक विवरणी प्रस्तुत करेगा :–

   (क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक के रूप में धारित अचल सम्पत्ति।

   (ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर, डिबेन्चर और नकदी, जिसके अन्तर्गत बैंक में जमा धन भी है :

   (ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त और उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल सम्पत्ति : तथा

   (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए कर्ज और उठाए गए अन्य दायित्व परन्तु उस अधिकारी के मामले में, जो उस तारीख को जब ये विनियम लागू हों, बैंक में सेवारत हों, वह इन विनियमों के लागू होने के तीन महीने के भीतर इस विनियम की शर्तों के अनुरूप विवरणी प्रस्तुत करेगा। यह विवरणी अधिकारी की अस्तियों और देयताओं की उस तारीख की स्थिति के बारे में होगी जब से ये विनियम लागू हों।

2. प्रत्येक अधिकारी प्रतिवर्ष उस वर्ष के 30 अप्रैल से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल, अचल सम्पत्ति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा।

3. कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई अचल सम्पत्ति पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय, उपहार या किसी अन्य रूप में न तो अर्जित करेगा और न उसका निपटान करेगा।

परन्तु अधिकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेन–देन :–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसके साथ अधिकारी के अधिकारिक सम्बन्ध हों ;

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से करने के बजाए अन्यथा किया जाए।

4. प्रत्येक अधिकारी उस चल सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक लेन–देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा, जो उसके अपने नाम में या उसके किसी परिवार जन के नाम से उसके पास हो या उसके स्वामित्व में हों, यदि उस सम्पत्ति का मूल्य 10,000/– रू0 से अधिक हो।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी तब अवश्य प्राप्त करनी होगी। यदि ऐसा कोई लेन–देन:

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका अधिकारी के साथ अधिकारिक व्यवहार हो, या

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हो।

5. पूर्वगामी उपविनियम में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से उस चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके किसी परिवार जन द्वारा धारित हो या अर्जित की गई हो, उक्त आदेश में निर्देश के अनुसार और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्यौरेवार सम्पूर्ण विवरण पेश करने की मांग कर सकता है। यदि बैंक द्वारा कहा गया हो तो उस विवरण में उन स्रोतों के ब्यौरे भी जिनसे यह सम्पत्ति अर्जित की गई हो, शामिल करने होंगे।

28. <u>विवाह सम्बन्धी पाबंदी</u> :

(1) (I) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की संविदा करेगा : और

(II) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की संविदा करेगा

परन्तु किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह संविदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे सकता है।

बशर्ते उसका यह समाधान हो जाए कि :–

(क) ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी और विवाह के दूसरें पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है : और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

(2) यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय नागरिक नहीं है, विवाह किया है या करना है तो वह इस तथ्य की सूचना बैंक को तुरन्त देगा।

29. कर्ज अथवा दण्डनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अधिकारी अथवा कर्मचारी

(1) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसे कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में कर्ज के लिए अथवा किसी दंडनीय आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है अथवा नजरबंद किया जाता है, सक्षम अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित, उसकी गिरफ्तारी की तारीख से अथवा जैसा मामला हो, उसे नजरबंद करने की तारीख से ऐसी तारीख तक अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जैसा सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया हो, निलंबित अथवा निलंबनाधीन माना जाएगा।

बशर्ते कि उस अवधि के सम्बन्ध में जिसके लिए उसे ऐसा माना जाता है, उसे विनियम 44 में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(2) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप विनियम (1) के अन्तर्गत किया गया कोई भुगतान उसके वेतन एवं भत्तों के समायोजन के अध्यधीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार तथा इस निर्णय के सम्बन्ध में कि क्या ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि अथवा छुट्टी के रूप में मानी जाए, के अनुसार किया जाएगा।

पूरा वेतन तथा भत्ते अनुमत्य होंगे बशर्ते कि अधिकारी अथवा कर्मचारी को

(क) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर होना माना जाता है : तथा

(ख) सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपने नजरबंदी से रिहाई के मामले में अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी नजरबंदी अपास्त करवाने में संतुष्ट कर देता है कि यह अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसे नजरबंद किया गया था।

(3) (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी निलम्बन अथवा विनियम 38 में उल्लिखित अन्य किसी शास्ति का दायित्वाधीन होगा अगर वह कर्ज के लिए जेल जाता है अथवा कोई ऐसा अपराध करता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हुआ है, अथवा बैंक के किसी कार्य से सम्बन्ध रखता है अथवा बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम एवं अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बाध्य होगा।

(ख) ऐसा निलम्बन अथवा अन्य शास्ति उसके जेल जाने की अथवा दोषी पाए जाने की तारीख से अतिरोपित की जाएगी तथा ऐसे अतिरोपण पर विनियम 38 का कोई अंश लागू नहीं होगा।

(4) जहाँ कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी का निलम्बन उप विनियम (3) के अनुसरण में किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा सापेक्ष दोषारोपण अपास्त कर दिया जाता है तथा अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता है, तब उसे सेवा में बहाल किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अनुपस्थिति छुट्टी लिए बिना है अथवा उसका स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने का कारण कर्ज के लिए अथवा दंडनीय आरोप के कारण हिरासत में होना अथवा कानूनी किसी प्रक्रिया के अनुसरण में नजरबंद किया जाना है, विनियम 22 के उपबंध भी लागू होंगे, यथा लागू विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी को छुट्टी के बिना अनुपस्थित होना माना जाएगा अथवा जैसा मामला हो, उसके नियत्रण से बाहर की परिस्थितियों में अन्यथा छुट्टी से अधिक रूका हुआ माना जाएगा।

30. राजनीति में भाग लेने तथा चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी राजनीति में अथवा राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, जिला परिषद, जिला मंडल/बोर्ड अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लडेगा।

31. कुछ संघों का सदस्य बनने, हड़ताल आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध

(1) कोई अधिकारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिए गए अर्थ के अनुसार "कर्मकार" नहीं है,

(क) बैंक के कर्मचारियों जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं, के किसी मजदूर संघ अथवा ऐसे मजदूर संघों के किसी महासंघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा सदस्य बना रहेगा अथवा पदधारी अथवा अन्यथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उससे कोई सम्बद्ध होगा।

(ख) बैंक के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों अथवा अपनी सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी प्रदर्शन का आश्रय अथवा किसी रूप में उकसाना, किसी रूप में हड़ताल अथवा किसी हिंसात्मक, अनुचित अथवा अशोभनीय कृत्य नहीं करेगा।

(2) कोई कर्मचारी, जो उस ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त उल्लिखित "कर्मकार" या ग्रेड अथवा पद नहीं है के सम्बन्ध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहेगा।

(3) कोई कर्मचारी किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा अथवा बना रहेगा जिसके उद्देश्य और गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों के, राज्य की सुरक्षा के, बाह्य राज्यों के साथ मित्रता के सम्बन्धों के, सार्वजनिक व्यवस्था, निन्दा अथवा अपराध प्रेरण के प्रतिकूल हों।

32. साक्ष्य देना

(I) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी जाँच के सिलसिले में साक्ष्य नहीं देगा।

(II) जहाँ उप विनियम (1) के अन्तर्गत अनुमति दी गई हो वहाँ कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार या बैंक की नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।

33. बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम

(1) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मानार्थ या विदाई अभिनंदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार आयोजन में भाग नहीं लेगा :

परन्तु यह उप विनियम किसी भी रूप में निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :—

(क) अधिकारी अथवा कर्मचारी या बैंक के अन्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवानिवृत्त या बदली होने के अवसर पर या जिस व्यक्ति ने हाल ही में बैंक की नौकरी छोड दी हो उसके सम्मान में आयोजित पर्याप्त रूप से निजी और अनौपचारिक प्रकृति का विदाई आयोजन : और

(ख) बैंक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित साधारण तथा कम खर्च वाला सत्कार स्वीकार करना।

(2) (क) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर प्रभाव के द्वारा उसे विदाई आयोजन में चन्दा देने के लिए राजी या बाध्य नहीं करेगा।

(ख) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी उच्च ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी से विदाई आयोजन के लिए चन्दा एकत्र नहीं करेगा।

34. अनुयाचन

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के अधीन अपने सेवा से सम्बन्धित मामलों के बारे में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा और न ही डलवाने का प्रयास करेगा।

35. चन्दा

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राहकों से कोई निधि बनाने या नकद या वस्तु के रूप मे कोई अन्य सग्रहण करने के काम में स्वयं को शामिल नहीं करेगा या उसके लिए चन्दा स्वीकार नहीं करेगा या चन्दा नही मांगेगा।

36. मादक द्रव्यों का सेवन

अधिकारी अथवा कर्मचारी –

(क) जिस किसी क्षेत्र मे जिस समय भी मौजूद हो, वहाँ वह उस क्षेत्र मे मादक पेय, औषध द्रव्यों (ड्रग) या अन्य पदार्थों से सम्बन्धित लागू किसी भी कानून का ठीक पालन करेगा:

(ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थ के असर में नहीं रहेगा और यह सावधानी बरतेगा कि उसके कर्त्तव्यों के पालन किए जाने में ऐसे पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थ का किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव न हो :

(ग) सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा :

(घ) नशे की हालत मे किसी सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित नही होगा।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई भी स्थान या परिसर (जिसके अन्तर्गत क्लब, चाहे वे ऐसे सदस्यों के लिए अन्य रूप से हों जहाँ उन्हें गैर सदस्यो को मेहमानो के रूप में आमत्रित करने की अनुमति प्राप्त है, बार और रेस्तरां, भी हैं) अभिप्रेत है जहाँ साधारण्या जन भुगतान करके अथवा अन्यथा प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

37. यौन उत्पीड़न

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीडन का कोई कृत्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए "यौन उत्पीडन" में प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत ऐसे अवांछनीय कामुक व्यवहार शामिल हैं, जैसे :–

(क) शारीरिक स्पर्श और पहल

(ख) यौन चाह की मांग अथवा अनुरोध

(ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां

(घ) कोई अश्लील साहित्य दिखाना, अथवा

(ड़) कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर–मौखिक यौन प्रकृति का आचरण।

38. शास्तियां

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा, अकुशलता अथवा निष्क्रियता दर्शाता है अथवा बैंक के हितों के लिए हानिकर अथवा इसके अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है अथवा अनुशासन भंग का कार्य करता है अथवा कदाचार के किसी कार्य के लिए दोषी है, नीचे दी गई शास्तियों में से किसी एक अथवा अधिक का दोषी होगा।

1. अधिकारी

(क) छोटे दण्ड :

(I) निन्दा करना :

(II) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतन वृद्धियां रोक रखना :

(III) पदोन्नति रोक रखना :

(ख) बड़े दण्ड :

(I) लापरवाही या आदेश भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा अथवा अंशतः उसके वेतन से अथवा उसे देय अन्य रकम में से वसूली ;

(II) निचले प्रक्रम या पद में कमी अथवा समय–मान में निचले वेतनमान;

(III) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(IV) सेवा से बर्खास्तगी, जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नहीं होगी ;

(V) पदच्युति।

स्पष्टीकरण

निम्नलिखित को उस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटि में नहीं माना जाएगा।

(I) किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिस पर वह कार्यरत हो, निर्धारित विभागीय टेस्ट या परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोक पाना :

(II) दक्षतारोध पार करने में अयोग्य होने के आधार पर किसी अधिकारी के वेतन को समय–मान में दक्षतारोध पर रोका जाना ;

(III) किसी अधिकारी को उच्चतर ग्रेड अथवा पद जिसके लिए वह विचार करने के लिए पात्र हो सकता है, स्थानापन्न कार्यभार अथवा प्रोन्नति न देना, परन्तु उसके सम्बन्ध में विचार किए जाने के बाद जिसके लिए उसे अयोग्य पाया जाए;

(IV) पदोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा अथवा अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विचाराधीनता के पूरा करने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की पदोन्नति को रोकना अथवा स्थगित करना;

(V) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे किसी अधिकारी का इस कारण से निचले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन कि परीक्षण के बाद, उसे उस उच्चतर ग्रेड या पद के अयोग्य समझा जाए या उन प्रशासनिक कारणों से जो उसके आचरण से असंबंधित हों ;

(VI) किसी अधिकारी का, जो किसी दूसरे ग्रेड या पद पर परिवीक्षाधीन के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षावधि के नियामक नियमों या आदेशों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन ;

(VII) कोई अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है तो उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तन ;

(VIII) अधिकारी की सेवा की समाप्ति :

(क) किसी संविदा या करार के अन्तर्गत के अलावा अस्थाई रूप से नियुक्त किसी अधिकारी की उस अवधि के समाप्त हो जाने पर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उससे पहले।

(ख) किसी संविदा या करार के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी की, उस संविदा या करार की शर्तों के अनुसार; और

(ग) छंटनी के भाग के रूप में

परन्तु यदि इस विनियम के खण्ड 1 के उप खण्ड (I) से (III) में विनिर्दिष्ट किसी छोटे दण्ड को लगाने का प्रस्ताव है, सम्बन्धित अधिकारी को उसके विरूद्ध चूकों के ब्यौरे लिखित में सूचित किए जाएंगे और उसे 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अनधिक अवधि अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो सक्षम प्राधिकारी मंजूर करे, के अन्दर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव बयान पर यदि कोई हो, को आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश उस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और लिखित रूप से आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बाद ऐसा कोई आदेश पारित किया जाएगा और जाँच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे।

परन्तु यह भी कि कोई जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है यदि ;

(I) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है ; और

(II) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है। और

(iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।

2 कर्मचारी

(क) छोटे कदाचार के लिए दण्ड

(i) निन्दा करना ;

(ii) उसके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड करना ;

(iii) 6 महीनों की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोक रखना ;

(ख) बड़े कदाचार के लिए दण्ड

(i) जुर्माना

(ii) वेतनवृद्धि (वृद्धियों) को रोके रखना

(iii) विशेष भत्तों को वापस ले लेना

(iv) उस मामलों में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुँच गया है तो 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमी।

(v) सेवा से बर्खास्तगी परन्तु वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी।

(vi) बर्खास्तगी।

परन्तु यह कि उपर विनिर्दिष्ट कोई बडा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बिना पारित नहीं किया जाएगा और जाँच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे।

परन्तु यह भी कि कोई जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने के इरादा नहीं रखता है ;

(ii) बैंक के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है; और

(iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो।

39. प्रक्रिया का अभित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है।

(क) यदि ये तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाना है, वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिद्ध हो गये हैं, अथवा

(ख) जहाँ अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; अथवा

(ग) जहाँ अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है; अथवा

(घ) जहाँ किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यवहारिक था; अथवा

(ङ) जहाँ विनियम 38 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं था।

परन्तु यह कि विनियम 38 की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के संज्ञान नहीं रखा जाता है।

40. जाँच के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन

विनियम 38 के अन्तर्गत जाँच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर, सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को, जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरूद्ध प्रक्रियाऐं प्रारम्भ की गई है और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं।

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी, अपने विवेक से जाँच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित, बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

41. सामान्य जाँच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंतर्ग्रस्त हैं और दोनों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि अंतर्ग्रस्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी एक ही होगा और उन दोनों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर सामान्य जाँच की जाएगी और विनियम 40 के अन्तर्गत जाँच करने की शक्ति और प्रक्रिया, अंतिम आदेश के अपवादस्वरूप, उसी जाँच अधिकारी के पक्ष में होगी।

42. भ्रष्ट प्रक्रियायें

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है, अर्थात् :

(I) जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपातहीन आस्तियां

रखता है अथवा उसने आपराधिक कदाचार किया है अथवा जहॉ आरोप की जॉच और प्रमाण में उन व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता होगी जो बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं है, अथवा जहाँ, अध्यक्ष की राय में, आरोपों की जॉच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती है, आरोपों की जॉच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सर्तकता आयोग अथवा अन्य ऐसा प्राधिकरण जिसका अध्यक्ष अनुमोदन करें, को सौंपी जा सकती है,

(II) यदि जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण को जो अध्यक्ष द्वारा सम्बन्ध में समय-समय पर निर्णय लें, को राय लेने के लिए जाँच रिपोर्ट भेज सकता है कि क्या सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(III) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, की राय पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए, तब, इस विनियम के अन्तर्गत जॉच विभागीय जाँच आयुक्त अथवा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किसी [illegible] को सौंपी जा सकती है।

(IV) जाँच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी उसकी राय के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग भेजेगा कि क्या आरोप अथवा आरोप (I) जैसा कि मामला हो, लगाने के लिए विचार किया जा सकता है और विनियम 38 के अन्तर्गत दण्ड अथवा दण्ड (1) लगाए जाएं। लगाए जाने वाले दण्ड अथवा दण्डों) पर केन्द्रीय सर्तकता आयोग की राय पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।

स्पष्टीकरण :

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट कार्यों का दोषी माना जाएगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13, 14, 15 और 16 में परिभाषित आपराधिक कदाचार पर कार्य किया है अथवा उसने अनुचित प्रयोजन के लिए अथवा भ्रष्ट ढंग से कार्य किया है अथवा अनुचित अथवा भ्रष्ट [illegible] से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अथवा शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है।

43. वकील के विनियोजन पर प्रतिबंध

जाँच के प्रयोजन हेतु, अधिकारी अथवा कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वकील की व्यवस्था नहीं करेगा।

44. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही

(i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप से निलंबनाधीन है जिसने अधिवर्षिता

की आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् भी अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके सम्बन्ध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा। ऐसा निम्नलिखित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्णिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है अधिवर्णिता की तारीख को सेवा में नहीं माना जाएगा परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी जैसे की वह सेवा में था जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है और उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है। सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख के बाद वेतन और/अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। कार्यवाही के पूरा होने और अंतिम आदेशों के पारित होने तक वह सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा सिवाय अपने स्वयं के सी पी एफ अंशदान के।

स्पष्टीकरण :

विशेषाधिकार छुट्टी और उपदान के नकदीकरण जैसे सामान्य सेवानिवृत्त लाभ, अनुशासनिक कार्यवाहियों के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के पारित होने तक रोक दिए जाने चाहिए। लाभों का जारी करना उक्त प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार होगा।

45. निलंबन

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऐसे निलंबन के दौरान, अधिकारी अथवा कर्मचारी नीचे दिए गए अनुसार गुजारा भत्ते का हकदार होगा :

1. अधिकारी के मामले में –

(क) मूल वेतन

(I) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जाँच किसी भी प्रकार की हो।

(II) बाद की अवधि के लिए :–

(क) यदि जाँच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।

(ख) यदि जाँच किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जाती तो अगले तीन महीने के लिए मूल वेतन का 1/3 और निलंबन की शेष अवधि का 1/2

(ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्ते को छोड़कर महंगाई भत्ता तथा अन्य

भत्तों का हिसाब घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है और चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के अधिकारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा।

2. कर्मचारी के मामले में

(क) मूल वेतन

(i) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जाँच किसी भी प्रकार की हो।

(ii) बाद की अवधि के लिए

(क) यदि जाँच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।

(ख) एक वर्ष के पश्चात् पूर्ण वेतन यदि विभागीय जाँच, सम्बन्धित कर्मचारी अथवा उसके किसी प्रतिनिधियों के कारण देरी नहीं हुई।

(ग) जहाँ जाँच बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेन्सी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कर्मचारी पर मुकदमा न चलाया जाए, ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों अथवा निलंबन के बाद एक वर्ष के बाद जो भी बाद में हो, और उस हालत में, जब जाँच में देरी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के किसी प्रतिनिधि के कारण नहीं हुई, पूर्ण वेतन देय होगा।

(ख) भत्ते

निलंबन की सम्पूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्तों को छोड़कर, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब, घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) (क) में विनिर्दिष्ट है चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा।

परन्तु यह कि कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक गुजारा भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय का घोषणा–पत्र नहीं उपलब्ध करा देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारोबार या व्यवसाय में नहीं लगा है।

परन्तु यह और कि यदि निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के कारण सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी सेवानिवृत्त की तारीख से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

निलम्बन की अवधि और सम्बद्ध मामलों का निरूपण

सक्षम प्राधिकारी, दंड लगाते समय इस आशय का निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारी या कर्मचारी को गुजारा भत्ते और उस अवधि, जिसमें वह निलंबित था, के लिए परिलब्धियों, जो उसने ऐसे निलम्बन के लिए प्राप्त किया होगा, के बीच के अंतर का भुगतान किया जायगा या नहीं और कि यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिसके प्रभाव से अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे गुजारा भत्ते को वापस करने के लिए बाध्य होना पडेगा। उस अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी निलबनाधीन है, को जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या अन्यथा के रूप मे माना जाएगा यदि उसे सेवाओं से बर्खास्त न कर दिया गया हो।

47. अपील करने का अधिकार

(I) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उन विनियमों के अन्तर्गत जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा जो उसके हितों को हानिकारक ढंग से प्रभावित करते हैं।

(II) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जानी हो उसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर विनियम 48 में वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील प्रस्तुत की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा ओर अधिमान्यत: 6 महीने की अवधि के भीतर उपर्युक्त आदेश जारी करेगा।

48. अपीलीय प्राधिकारी

अपील :

(I) बोर्ड के पास की जाएगी जहाँ अध्यक्ष या निदेशकों की समिति सक्षम प्राधिकारी है।

(II) अध्यक्ष के पास की जाएगी जहाँ कोई अन्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

49. अपील की अपेक्षा

प्रत्येक अपील के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा :

(क) यह लिखित रूप में होगी और नम्र एवं आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जाएगी और अनावश्यक विस्तार या अतिशय शब्दाडंबर से मुक्त होगी।

(ख) इसमें सभी महत्त्वपूर्ण विवरण और बहस राहत होंगी तथा स्वयं में पूर्ण होंगी।

(ग) इसमें अपेक्षित राहत विनिर्दिष्ट होंगी।

(घ) यह व्यक्तिगत रूप से निदेशको को सम्बोधित नहीं की जाएगी।

अध्याय - 5

वेतन और भत्ते

50. कब प्रोद्भुत और देय होगा

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्ययीन वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के शुरूआत से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को उक्त महीने के दौरान दी गई सेवा के लिए देय होंगे।

51. समाप्ति का समय

(I) जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है वेतन और भत्ते का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

(II) बैंक की सेवा से किसी अधिकारी या कर्मचारी के बर्खास्त कर दिए जाने की स्थिति में बर्खास्तगी की तारीख से वेतन और भत्ते समाप्त हो जाएंगे।

(III) वैसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, वेतन और भत्ते मृत्यु के अगले दिन से समाप्त हो जाएंगे।

52. वेतन–वृद्धि

किसी वेतनमान में उस वेतनमान के प्रत्येक चरण में सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर वेतनवृद्धि प्रोद्भूत होंगी।

परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी इसके प्रोद्भूत होने की वास्तविक तारीख के स्थान पर उस महीने की पहली तारीख को वेतनवृद्धि आहरित करेगा जिस महीने में यह देय हैं।

अध्याय - 6

छुट्टी और कार्य ग्रहण का समय

53. छुट्टी के प्रकार

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए पात्र होगा :–

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमार छुट्टी

(घ) असाधारण छुट्टी

(ङ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी

(च) प्रसूति छुट्टी

54. छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी

छुट्टी देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी।

55. छुट्टी देने से मना करने तथा छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की शक्ति

(I) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो किसी भी प्रकार की छुट्टी से मना करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

(II) बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर छुट्टी गए अधिकारी या कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है।

परन्तु यह कि यदि उस समय अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है तो वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यालय लौटने के लिए किए गए वास्तविक खर्च को पाने का पात्र होगा।

56. छुट्टी से वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान

छुट्टी पर गया अधिकारी या कर्मचारी, जब तक कि इसके विपरित अन्यथा कोई अनुदेशन जारी किया गया हो, उसी स्थान पर ड्यूटी पर वापस आएगा जहाँ वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था।

57. निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी के लिए छुट्टी स्वीकार्य नहीं

निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी को कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।

58. आकस्मिक छुट्टी

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्य दिवस की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है।

परन्तु यह कि एक बार में चार दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है; और

परन्तु यह और कि ऐसी छुट्टी के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को इस ढंग से नहीं जोड़ा जाएगा कि एक बार में अनुपस्थिति बढ़कर छः दिन से अधिक हो जाए।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रथम कैलेण्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश पूरे हुए प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार पर स्वीकार्य होंगे।

(3) (क) अधिकारी के मामले में किसी कैलेण्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में बीमारी छुट्टी में आगे या पीछे जोड़ दी जाएगी।

(ख) कर्मचारी के मामले में किसी कैलेण्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को पर्याप्त वेतन पर बीमारी छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बीमारी छुट्टी विनियम 60 में निर्धारित पात्र बीमारी छुट्टी सीमाओं के अतिरिक्त होंगी।

(4) आकस्मिक छुट्टी उपर्युक्त उप–विनियम (3) (क) में यथा निर्धारित छुट्टी विनियम–62 के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक छुट्टी और विनियम 63 के अन्तर्गत प्रसूति छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं दी जा सकती है।

59. विशेषाधिकार छुट्टी

(क) स्केल जिस पर विशेषाधिकार छुट्टी अर्जित की जाती है।

(1) अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा।

परन्तु यह कि सेवा के प्रारम्भ में ड्यूटी पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार छुट्टी नहीं ली जा सकेगी।

(2) अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी में से ली गई छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा।

(3) विशेषाधिकार छुट्टी पर चलने वाला अधिकारी छुट्टी की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियां पाने का हकदार होगा।

(4) 31 दिसम्बर, 1989 तक कुल 180 दिनों तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और 1 जनवरी, 1990 से 240 दिन से अनधिक तक की विशेषाधिकार छुट्टी संचित की जा सकती है।

(ख) कब आवेदन दिया जाना चाहिए

(I) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार छुट्टी के लिए आवेदन उस तारीख से एक माह पूर्व दिया जाएगा जिस तारीख से छुट्टी आपेक्षित है।

(II) उन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है जो उप–विनियम (ख) (I) की उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं।

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा नोटिस संभव नहीं था तो वह अपने विवेक से इस अपेक्षा को समाप्त कर सकता है।

60. बीमारी छुट्टी

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी दस दिन की दो किस्तों, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में जमा डाली जाएगी।

(2) (क) इस छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/3 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में जमा डाला जाएगा जिसे वह उस कैलेण्डर वर्ष की बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी में देगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।

(ख) बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी, जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग पत्र देने वाला है, के लिए सेवानिवृत्त और त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए 5/3 दिन की दर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेण्डर माह जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, के पहले वाले कैलेण्डर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह में 5/3 दिन की दर से बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) जहाँ अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी में "छूट–दिवस" के रूप मे माना गया है, अगली बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी के शुरू होने पर जमा की जाने वाली उसकी बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को अधिकतम 10 दिन के अध्यधीन "छूट- दिवस" अवधि के एक के अठारहवे भाग से घटा दिया जाएगा।

परन्तु यह कि बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित की जा सकती है।

(I) अधिकारी या कर्मचारी बीमारी/मेडिकल छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धिया प्राप्त करने का पात्र होगा।

परन्तु यदि अधिकारी या कर्मचारी चाहे तो बैंक उसे मंजूर की गई बीमारी/मेडिकल छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धिया प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसकी बीमारी मेडिकल छुट्टी खाते मे से दुगनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जाएगी।

(II) प्रथम वर्ष के दौरान बीमारी/मेडिकल छुट्टी समानुपातिक आधार पर मंजूर की जाए

(III) बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके ही बीमारी/मेडिकल छुट्टी ली जा सकती है।

(IV) बीमारी/मेडिकल छुट्टी की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि अब वह ड्यूटी पर आने योग्य है।

स्पष्टीकरण :

1. नियुक्ति की तारीख तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा मे प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन का बीमारी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा। ऐसी छुट्टी 180 दिन तक संचित की जाती है।
2. नियुक्ति की तारीख से अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 20 दिन की बीमारी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा।

61. असाधारण छुट्टी

(1) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी उसी अवस्था में दी जाएगा जब उसके पास कोई साधारण छुट्टी शेष न हो और तब जब उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीमारी छुट्टी को न्यायोचित नहीं माना जाता है। अधिकारी या कर्मचारी की मंजूर की जाने वाली असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियो में अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।

परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड, ऐसा अनुमोदन करते समय, लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण दर्ज करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों में अन्यथा दिए गए अनुसार ही अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके आगे असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(3) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे और इस प्रकार की छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी बशर्ते कि जहाँ सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण छुट्टी की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई जो कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी, यह निर्देश दे सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाए।

62. विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी

किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद, रक्तदान, परिवार नियोजन, जाँच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल डिफेन्स ज्वाईन करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है।

63. प्रसूति छुट्टी

(I) प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में तीन महीने तक की अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिसके अन्तर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्त्राव अथवा गर्भपात के समय की छुट्टी भी शामिल है। किन्तु ऐसी छुट्टी महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 महीनों से अधिक नहीं होगी।

(II) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को तभी मंजूरी प्रदान की जाएगी जबकि वैसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो।

64. छुट्टी का व्यपगत होना

अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टियां व्यपगत हो जाएंगी। परन्तु यह कि यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को ऐसी राशियां देय होंगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु

के समय विनियम 59 के उप विनियम (क) (4) के अध्यधीन संचित विशेषाधिकार छुट्टी लेने की स्थिति में देय होती।

परन्तु आगे यह कि जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के बराबर परिलब्धियां भुगतान करने की पात्रता, विनियम 59 के उपविनियम (क) (4) के अध्यधीन होंगी।

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में जहाँ कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते देय होंगे।

65. बैंक को छुट्टी की अवधि के दौरान का पता देना

जिस अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी मंजूर कर दी गई है और जो अपनी तैनाती के स्थान से बाहर जा रहा है वह बैंक को अपने उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे सम्पर्क किया जा सके।

66. छुट्टी का प्रारम्भ और समाप्त होना

(I) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौंपेगा उसके ठीक बाद के पहले कार्यदिवस से उसकी छुट्टी आरम्भ होगी।

(II) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन वापस ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा उसके पहले का कार्य दिवस उसकी छुट्टी का अंतिम दिन होगा।

67. कार्यग्रहण अवधि

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक बार कार्य ग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वह .

(क) ड्यूटी के दौरान अपने पुराने पद से नियुक्ति के लिए नए पद पर कार्यग्रहण कर सके या

(ख) छुट्टी से लौटकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके।

(2) कार्यग्रहण समय की अवधि निम्नप्रकार की होगी :

(क) अधिकारी के सम्बन्ध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अधिक की अवधि, और

(ख) कर्मचारी के सम्बन्ध में यात्रा के दियसों को छोड़कर छः दिनों से अधिक की अवधि।

(3) कार्यग्रहण समय की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार, जो भी कम हो, परिलब्धियां लेने का पात्र होगा

(4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुमत कार्यग्रहण अवधि की गणना करते समय उसके पुराने पद से कार्यमुक्ति के दिन को छोड दिया जाएगा।

परन्तु यह कि कार्यमुक्ति बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उनके कार्यग्रहण समय में नहीं की जाएगी।

(5) यदि स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर तैनाती अन्तर्निहित न हो तो अधिकारी या कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी।

(6) यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अस्थायी रूप से कहीं और तैनात किया जाता है तो चाहे उसकी तैनाती उसकी स्थाई तैनाती से भिन्न किसी स्थान या स्टेशन पर क्यों न की गई हो उसे कोई कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी।

(7) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानांतरण होने पर कोई कार्यग्रहण समय नहीं दिया जायेगा।

अध्याय - 7

विविध

68. भविष्य निधि तथा पेंशन

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार निम्नतम अनवरत सेवा पूरी कर ली है, कर्मधारी भविष्य निधि का सदस्य होगा। अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी, उक्त अधिनियम की धारा "6 ए" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नवम्बर 1995 से प्रभावी होगी।

69. उपदान

1. अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित उप विनयमन 2 के अनुसार उपदान के भुगतान का पात्र होगा।

2. किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि या तो ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के उपबधो या निम्नलिखित उप-विनियम (3) के अनुसार जो भी अधिक हो, देय होगी।

3 (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों के उपदान के लिए पात्र होगा

(क) सेवानिवृत्ति पर

(ख) मृत्यु पर

(ग) ऐसी नि:शक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है, या,

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग पत्र देने पर या

(ड) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, दण्डस्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर, अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति पर।

परन्तु यह कि कदाचार के कारण हटाए गए कर्मचारी के सम्बन्ध में उपदान की राशि को जब्त नही किया जाएगा सिवाए ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहाँ कि ऐसे कदाचार के कारण बैक को वित्तीय हानि हुई हो।

(2) अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा 6 महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने का वेतन देय होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्यधीन होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परन्तु यह कि किसी अधिकारी के सम्बन्ध मे देय उपदान उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित होगा।

परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में उपदान की गणना किए जाने के उद्देश्य के लिए मृत्यु, अशक्तता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति, जैसा भी मामला हो, से पहले 12 महीनों के दौरान देय, मूल वेतन (100:), महंगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्तों का औसत होगा।

70. निवास स्थान

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अनुसूची III में दिए गए फार्म बी में लिखित रूप से बैंक को अपने निवास स्थान की घोषणा करेगा और यदि ऐसा निवास स्थान उसका जन्म स्थान नही है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध करना चाहिए।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान दर्शा चुका है उसे उसको बदलने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि यह बैंक को इस तथ्य के लिए संतुष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन वास्तविक है और किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में इस प्रकार से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि ऐसी किसी रियायत के लिए बैंक की लागत में वृद्धि हो।

71. स्थानांतरणीयता

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

72. विनियमों का कार्यान्वयन और व्याख्या

(1) अध्यक्ष समय समय पर ऐसे अनुदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं जो उनकी राय में इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या इन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) भारत सरकार, जब कभी भी आवश्यकता समझे, रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद इन विनियमों की व्याख्या कर सकती है।

73. निरसन और व्यावृत्तियां

(1) विनियमावली के किसी या विनियम समरूप प्रत्येक नियम, विनियम, उपनियम या किसी करार अथवा संकलन का कोई उपबंध जो उस विनियमावली के आरम्भ होने के फौरन पहले प्रचलन में हो और उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरसन के बावजूद उन निरस्त उपबंधों के अंतर्गत दिए गए आदेश या की गई कार्यवाही इस विनियमावली के समरूपी उपबंधों के अन्तर्गत दिया गया या की गई मानी जाएगी।

गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक

अध्यक्ष

(AWTAR KRISHAN)

अनुसूची ।

(विनियम १८ देखें)

निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा :–

स्थान :

दिनांक :

मैं..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में अपने से अपेक्षित कार्यों और उन कार्यों, जो बैंक में मेरे द्वारा धारित पद से उचित रूप से सम्बन्धित है, को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और अपने सर्वोत्तम कौशल और योग्यता से निष्पादित करूंगा/करूंगी।

मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बैंक के कार्यों या किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यों, जिसका बैंक से व्यवहार है, से सम्बन्धित कोई भी सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को संसूचित नहीं करूंगा/करूंगी या संसूचित करने की अनुमति नहीं दूंगा/दूंगी, जो वैद्य रूप से इसका हकदार नहीं है और न ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बैंक के कारोबार या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका बैंक से व्यवहार है, से सम्बन्धित बैंक की पुस्तकों या कागजात या बैंक के स्वामित्व वाली पुस्तकों या कागजात या इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड का निरीक्षण करने या उन तक पहुँचने की अनुमति दूगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया

पूरा नाम –

दिनांक :

पदनाम –

सावधानी (भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया जाए)

अनुसूची II

(विनियम 5 (4) देखें)

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी से प्रथम नियुक्ति के समय प्राप्त किया जाने वाला घोषणा पत्र ।

मैं श्री / श्रीमती / कु..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूँ।

(I) **यह कि** मैं अविवाहित/विधुर/विधवा हूँ।

(II) **यह कि** मैं विवाहित हूँ और केवल एक पत्नी/पति जीवित है।

(III) **यह कि** मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है।

छूट की अनुमति का आवेदन संलग्न है।

(IV) रूंपातरित किया जाए

2. **मैं** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सत्य है और मेरी नियुक्ति के पश्चात् **इस घोषणा के** असत्य पाए जाने पर मैं सेवा से बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

दिनांक हस्ताक्षर

अनुसूची – III

फार्म ख

निवास स्थान की घोषणा

(विनियम 70 देखें)

स्थान :
दिनांक :

मैं, अधोहस्ताक्षरी, ... बैंक की सेवा में नियुक्ति के बाद एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि .... (स्थान) ..... (जिला) मेरा निवास स्थान है।

• उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि है।

या

• उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है। मेरी जन्मभूमि..... (स्थान)..... (जिला) है परन्तु ..... (स्थान) को निम्नलिखित कारणों से अपना निवास स्थान घोषित किया गया है।

.....

.....

पूरा नाम
पदनाम और नियुक्ति की प्रकृति

नियुक्ति की तारीख
हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)

फाईल संख्या : 17-1/2001 - पी.सी.आई./-7787-7905 दिनांक: - 2 AUG 2001

भारतीय भेषजी परिषद् के 67 वें अधिवेशन अगस्त, 2000 तथा 68 वें अधिवेशन मई 2001 में पारित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या 67/पी.सी.आई./1281

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी को अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
आन्ध्र प्रदेश		
एस. वी. सी. एम. पॉलीटैकनिक बड़वैल - 516 227 कुडप्पा	1 (श्री वाई. सिवा प्रसाद) के लिए	1996-97 के लिए

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्,सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं राज्य समिति, बी आर.के.आर. बिल्डिंग,सातवां तल, पास टैंक बंद रोड़,हैदराबाद-500 063 (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1282

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
असम		
इस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गुवाहाटी मैडिकल कॉलेज गुवाहाटी - 32	60	1998-99 से 2001-2002 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निदेशक,तकनीकी शिक्षा,काहिलीपारा,गुवाहाटी-781 019,असम,द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1283

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
असम		
इस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी असम मैडिकल कॉलेज दिबरूगढ़ - 786 002	100	1998-99 से 2001-2002 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद परीक्षा नियंत्रक,दिबरूगढ़ विश्वविद्यालय,दिबरूगढ़-786 004,असम,द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1284

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक		
जी. एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी विडिया नगर, टाउन शिप नीलामंगला बाई-पास बंगलौर - 562 123	60	1999-2000 से 2001-2002 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, अध्यक्ष, परीक्षा प्राधिकरण समिति, मार्फत औषधि नियंत्रण कार्यालय कर्नाटक राज्य, पैलेस रोड,पोस्ट बॉक्स संख्या 5377,बंगलौर-560 001,कर्नाटक, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1285

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
मिजोरम		
रिजनल पैरा मैडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रैनिंग इन्स्टीट्यूट चॉदमारी, एजावल	30	1997-98 से 2001-2002 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्,निदेशक,मिजोरम राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद्,एजावल - 796 001,मिजोरम, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1286

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
पांडिचेरी		
मदर टरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ साईंसिज (ए गवर्नमैंट ऑफ पांडिचेरी इंस्टीट्यूट) पांडिचेरी - 605 001	20	1998-99 से 2001-2002 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्,परीक्षा नियंत्रक,चिकित्सा अधीक्षक,राजकीय जनरल अस्पताल,पांडिचेरी, (यू. टी.) द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

डिग्री

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1287

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गुजरात.		
श्री वी. एम. शाह कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च (डिग्री फार्मेसी) कॉलेज कैम्पस, मोदासा - 383 315 डिस्ट्रिक्ट एस. के.	60	1998-99 से 2002-2003 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स संख्या 21, विश्वविद्यालय

मार्ग,पाटन - 384265,गुजरात, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 68/पी.सी.आई./1288

[1] भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
महाराष्ट्र		
श्रीमती शरदचन्द्रिका सुरेश पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी चोपदा-425 107, डिस्ट्रिक्ट जलगांव	40	1996-97 से 2002-2003 तक

[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद रजिस्टार,नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय,उमावी नगर,पोस्ट बॉक्स संख्या 80,जलगांव-425 001, महाराष्ट्र,द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

अर्चना मुदगल

(अर्चना मुदगल)
सचिव

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-51/ B - 51 **/2001-2002** **31 जुलाई, 2001**

पुनर्निवेश प्लान, 1966 के परिच्छेद 20 के अनुसरण में उक्त प्लान के प्रावधानों के परिच्छेद 13 में किया गया संशोधन, जिसे कार्यकारिणी समिति की मुंबई में 26 जुलाई, 2001 को संपन्न बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

पी बी विजयराघवन

पी बी विजयराघवन
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

पुनर्निवेश प्लान, 1966 के प्रावधानों के परिच्छेद 13 मे निम्नलिखित जोड़ा जाता है

उक्त परिच्छेद मे निहित किसी बात के होते हुए भी, ट्रस्ट समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि म दौरान ऐसे मूल्य/मूल्यो और ऐसी शर्तों और निबधनो, जिन्हें ट्रस्ट उचित समझे, पर उतनी सख्या म यूनिटों की पुनर्खरीद का प्रस्ताव प्लान के किसी सदस्य को कर सकता है। भले ही उसके पास प्लान मे एक या एक से अधिक खाते के अंतर्गत निर्धारित संख्या से अधिक सख्या मे यूनिट हों।

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-51/ 15-41 /2001-2002 31 जुलाई, 2001

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963(1963 का 52) की धारा 19 के अंतर्गत तैयार किये गये चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान के प्रावधानों में किया गया संशोधन, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना, 1964 के अधीन जारी किए गए यूनिटों के लिए लागू है, जिसे कार्यकारिणी समिति की मुंबई में 26 जुलाई, 2001 को संपन्न बैठक में अनुमोदित किया गया है, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

पी बी विजयराघवन

पी बी विजयराघवन
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

1- चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान 1970 के प्रावधानों के परिच्छेद 12 के अंत में निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ा जाता है

ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत सदस्यों/यूनिट धारकों को निम्नलिखित विकल्प दे सकता है:-

1 आय वितरण का नकद भुगतान या

2 चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान 1970 में बने रहने देना और घोषित आय वितरण की राशि का यूनिट योजना 64 के अंतर्गत बिक्री स्थगन अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति के बाद इस योजना के अंतर्गत घोषित प्रथम बिक्री मूल्य पर पुनर्निवेश या

3 आय वितरण राशि का ट्रस्ट की अन्य किसी योजना/प्लान के यूनिटों में, जो उस समय खुली हो, आय वितरण के भुगतान की तिथि या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को लागू बिक्री मूल्य पर निवेश की अनुमति या

4 ट्रस्ट द्वारा समय, समय पर उचित समझा गया/समझे गए कोई अन्य विकल्प

2- चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान 1970 के प्रावधानों के परिच्छेद 14 के अंत में निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ा जाता है

उपर्युक्त प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी ट्रस्ट समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पुनर्खरीद/उन्मोचन के लिए पात्र यूनिटों में से यूनिटों की एक निर्धारित संख्या तक पुनर्खरीद को उन शर्तों एवं निबन्धनों, जिन्हें ट्रस्ट उचित समझे, पर रोक सकता है।

लेखा विवरण

अलीगढ़ मुस्लिम

आय एवं व्यय

व्यय	वास्तविक आँकडे	
१. प्रशासन-		
वेतन	13,98,84,569	
अन्य प्रभार	1,18,85,358	
सामान्य सेवा तथा विविध प्रभार .	2,37,62,093	
२. शैक्षिक विभाग -		17,55,32,020
(अ) संकाय-		
वेतन	46,36,58,506	
अन्य प्रभार	2,55,27,353	
(ब) महाविद्यालय-		48,91,85,859
वेतन	2,89,25,646	
अन्य प्रभार	13,43,423	
(स) सामान्य शिक्षा केन्द्र-		3,02,69,069
वेतन	24,80,525	
अन्य प्रभार	10,81,241	
		35,61,766
(द) कैरियर प्लानिंग केन्द्र-		
अन्य प्रभार		80,533
३. परीक्षाएँ-		
वेतन	1,08,76,005	
अन्य प्रभार	1,50,64,306	
४. एम० ए० पुस्तकालय-		2,59,40,311
वेतन	1,52,71,589	
अन्य प्रभार	1,15,03,177	
५. छात्रों की सुविधाएँ-		2,67,74,766
वेतन	91,20,139	1,04,59,190
अन्य प्रभार	13,39,051	
६. अधिछात्रवृत्तियाँ		26,81,219
७. छात्रावास-		
वेतन	8,51,80,919	
	72,51[illegible]	9[illegible]32[illegible]5

1999-2000

विश्वविद्यालय अलीगढ़

खाता 1999-2000

आय		वास्तविक आँकड़े
अनुरक्षरण अनुदान खाता-		
१. धर्मादा एवं अनुदान--		
(अ)नियोजन से आय...		58,51,014
(ब) अनुदान-		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग...	1,70,83,80,000	
राज्य सरकार	2,11,000	
	————	1,70,85,91,000
२. छात्रों से प्राप्त शुल्क-		
शैक्षिक	3,24,02,195	
परीक्षा	24,15,236	
अन्य शुल्क	17,08,643	
	————	3,65,26,074
३. छात्रावास		22,79,018
४. भवनों, भूमि एवं सम्पत्तियों से आय-		
भवन	19,73,772	
भूमि एवं उद्यान	11,76,574	
	————	31,50,346
५. प्रकाशन-		32,009
६. तहजीबुल अख़लाक/निशांत- ...		21,141
७. अन्य विभाग-		
भवन निर्माण विभाग के टेन्डर की बिक्री द्वारा ...		1,52,543
८. विद्युत विभाग-		
विद्युत प्रदाय सेवाएँ		49,76,137
९. प्रकीर्ण		50,57,044

आय एवं व्यय

व्यय		वास्तविक आँकड़े	
८. प्रकाशन—			
	वेतन	11,89,256	
	अन्य प्रभार	6,12,956	
			18,02,212
९. अन्य विभाग —			
	वेतन	4,80,84,403	
	अन्य प्रभार	1,91,79,295	
			6,72,63,698
१०. सहायक सेवाएँ—			
	वेतन	1,18,46,321	
	अन्य प्रभार	4,23,82,457	
			5,42,28,778
११. प्रकीर्ण—			
(i)	अवकाश वेतन	2,13,38,448	
(ii)	अवकाश नगदीकर्ण	1,63,26,953	
(iii)	अन्य प्रभार	7,55,85,960	
(iv)	वेतन का (एरियर) बकाया ...	2,82,253	
(v)	पाँचवे वेतन आयोग का बकाया ...	4,05,26,351	
			15,40,59,965
१२. विद्यालय—			
	वेतन	5,13,41,664	
	अन्य प्रभार	23,51,729	
			5,36,93,393
१३. भविष्य निधि एवं पेंशन			25,53,64,018
१४. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय——			
	वेतन	8,60,36,070	
	अन्य प्रभार	1,25,43,770	
			9,85,79,840
	योग		1,54,19,09,502
	आय की व्यय से अधिकता		22,70,96,160
	महायोग—अनुरक्षण अनुदान खाता— ...		1,76,90,05,662

ह० (एस०के० अमीज उल्लाह)
सहायक वित्त अधिकारी

ह० (एम०ए०फ़्०० काज़मी)
उप वित्त अधिकारी

खाता 1999-2000

आय	वास्तविक आँकड़े	
(अ) अनुरक्षरण अनुदान खाता :–		
90. विद्यालय –		
छात्रों से प्राप्त शुल्क	7.04.902	
छात्रावास	28.546	
प्रकीर्ण	14.84.307	
		22.17.775
99. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल–		
प्रक्षीण प्राप्तियां		1.51.581
महायोग–अनुरक्षण अनुदान खाता– ...		1.76.90.05.662

ह० (एस० शकील अहमद)
वित्त अधिकारी

आय एवं व्यय

व्यय		वास्तविक आँकडे	
उच्च शिक्षा एवं शोध विकास–			
(i)	नवम योजना-	5,27,683	
	वेतन एवं भत्ते	(–)28,63,388	
	अन्य प्रभार	(–) 2,99,218	
		————	(–)26,34,923
(ii)	विशेष विकास योजनाऐं		
	वेतन एवं भत्ते	11,20,551	
	छात्रावृत्ति एवं अधिछात्रावृत्तियॉ ...	(–) 1,86,998	
	अन्य प्रभार		
(iii)	प्रकीर्ण योजनायें-	57,41,601	
	विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन...	————	66,75,154
	शिक्षकों को यात्रा अनुदान ...		
	अनिर्दिष्ट अनुदान	2,86,269	
	अन्य प्रभार	5,90,410	
		7,79,673	
		67,68,208	
	योग –	————	84,24,560
			————
			1,24,64,791
	आय की व्यय से अधिकता		
	योग – विकास अनुदान ...		1,92,96,323
			————
			3,17,61,114

(मौहम्मद अहमद)
सहायक वित्त अधिकारी

खाता 1999-2000

आय	वास्तविक आँकडे
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार से	
सहायक अनुदान	
उच्च शिक्षा तथा शोध विकास हेतु	
(i) नवम् योजना हेतु	29,00,000
(ii) विशेष विकास योजनाएँ	2,01,43,331
(iii) प्रकीर्ण योजनाओं-हेतु सहायक अनुदान (वि० वि० अनुदान आयोग, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा)..	87,17,783
योग–विकास अनुदान खाता– ...	3,17,61,114

ह० (एस० शफीक अहमद)
वित्त अधिकारी

तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
सामान्य खाता–		
स्थायी सम्दान-		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम १९२० की धारा ७ के अन्तर्गत लगाये धन का पूँजीकृत मूल्य		30,00,000
स्थायी आरक्षित निधि-		
हस्तांतरित अवशेषों तथा दान का पूँजीकृत मूल्य...		60,50,363
विशेष चल आरक्षित निधि-		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य...		10,40,221
चल आरक्षित निधि-		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य		3,81,051
न्यास निधि-		
दान आदि का पूँजीकृत मूल्य	28,02,634	
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष ...	15,52,057	
		43,54,691
प्रकीर्ण न्यास-		
अवमूल्यन निधि		56,87,284
भवन निधि...	1,23,25,534	
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	9,43,845	
महिला महाविद्यालय निधि	23,560	
		1,32,92,939
प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन शेष-		
चालू व्यय निधि		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत वेतन का विकल्प लिया है उनकी भविष्य निधि की साख पर वि०वि० अँशदान का व्याज भवन निर्माण ऋण तथा कर्मचारी भवनों हेतु		5,49,74,966
छात्र सेवा निधि	10,95,151	
अनिवार्य सामूहिक बीमा तथा बचत योजना...	3,11,292	
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भ्रमत निधि..	3,33,857	

31 मार्च, 2000

परिसंपत	धनराशि	धनराशि
विनियोजन–		
विविध नियोजन (विनियोग)-		
राजकीय प्रतिभूतियाँ एवं सावधि निक्षेप ...		76,22,52,116
भवन एवं भूमि		36,55,05,654
उपकरण	33,48,71,514	
वाहन	42,50,936	33,91,22,450
उपस्कर		78,39,233
पुस्तकें		6,41,84,615
अवमूल्यन निधि		5,72,507
गार्ट्राय सेवा योजना		22,866
प्रकीर्ण विकलन शेष–		
स्थाई अग्रिम		34,688
निलम्बित खाता		59,787
प्रकीर्ण विकलन सामान्य खाते (विवरण ४ के अनुसार)...		25,43,810
बचत खाता/अल्प कालीन निक्षेप नियोजन का पूंजीकृत मूल्य		28,64,31,578
विकास अनुदान खाता–		
यूनानी औषधियों में अनुसंधान (तिब्बिया कालिज)हेतु (भारत सरकार) की योजना	49,051	
साहित्य अनुसंधान तिब्बिया कालिज (भारत सरकार की योजना)	23,602	
पोस्ट पार्टम योजना (उत्तर प्रदेश सरकार) ...	91,94,152	
हिफजाने सेहत, मुआलिजात एवं कुल्लियात (ए.के तिब्बया कालेज)	4,97,564	

तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
निलम्बित प्राप्तियाँ विवरण ४ के आलग्नक के अनुसार..	7,16,934	
अनिवार्य जमा योजना	8,164	
विकास प्रभार का पूंजीकृत मूल्य	1,91,01,471	
कारपस निधि	5,34,93,354	
सेवा निवृतियाँ का लाभ	2,19,05,097	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त श्रोतों पर इन्सेन्टिव	7,48,633	
अन्तर्निधि अग्रिम	1,79,11,492	
		11,56,25,445
आय की व्यय से अधिकता		20,32,23,336
विकास अनुदान खाता–		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूँजीकृत मूल्य–		
भवन	28,70,94,380	
पुस्तकें	6,44,13,502	
उपकरण	36,95,67,869	
उपसकर	75,44,487	
आय की व्यय से अधिकता	2,33,69,958	
निलम्बित प्राप्तियां (विवरण सं० ४ के अनुसार)...	24,75,643	
निलम्बित खाता	2,74,358	
अर्न्सनिधि अग्रिम	2,31,56,330	
नियोजन से आय...	18,71,877	
	2,32,000	
	2,32,000	
		78,02,32,404
विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता–		
भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुदान का निक्षेप खाता	20,60,087	
विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रवृति अनुदान का निक्षेप खता	8,98,707	
अन्तर्निधि अग्रिम ...	8,74,967	
आय की व्यय से अधिकता	12,50,873	
		50,84,634
निक्षेप खाता–		
सरकार तथा अन्य ऐजेन्सीज द्वारा अनुदान का पूँजीकृत मूल्य:-		
फोर्ड फाउन्डेशन	21,94,321	

31 मार्च, 2000

परिसंगत	धनराशि	धनराशि
विकास अनुदान बचत खाता	16,28,942	1,13,93,311
आय एवं व्यय खाता-		
व्यय की आय से अधिकता (छात्रवृति खाता) ...		2,16,375
ए० एम० यू० निक्षेप खाता-		
एन० आई० एच० मलेरिया योजना हवाई		
विश्वविद्यालय (यू० एस० ए०) के सहयोग से ...	24,617	
प्रकीर्ण विकलन अवशेष...	1,20,843	
अनुदान पी० एल० ४८० योजना	8,331	
		1,53,791
ऋण तथा अग्रिम (आलग्नक ४ के अनुसार)...		2,82,34,632
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि-		
अन्तर निधि अग्रिम...	69,154	
आयुर्विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम	4,843	73,997

तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
कुवैत सरकार	1,00,000	
ईरान के इस्लामिक गणतंत्रा द्वारा अनुदान...	1,13,000	
महामहिम शाह सउद अनुदान	6,90,109	
छात्रावास के निर्माण (१०० कमरों के हेतु)	7,57,743	
हाजी सउद अब्दुल अज़ीज अल बावलैन (स्कूल के निर्माण हेतु अनुदान)	10,34,581	
डा० हसन कमाल (यूनियन स्कूल बिल्डिंग के निमार्ण हेतु)	14,21,207	
श्री इशरत हुसैन उस्मानी छात्रावृत्ति हेतु	26,140	
स्वर्गीय श्री मौहम्मद अमजद अली (पुस्तक हेतु)... ...	6,25,707	
श्री सबीह अहमद कमाली	3,08,958	
जम्मू कश्मीर शासन द्वारा अनुदान...	6,96,820	
श्रीमती अफसरी बेगम द्वारा अनुदान	9,10,324	
विश्वविद्यालय के विकास कार्यों हेतु पूंजी–		
दयाखाना द्वारा तिब्बिया कॉलेज का अनुदान ...	18,68,927	
दन्त/आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु	44,21,905	
यू० ए० ई० का अनुदान नवीन पाठयक्रम हेतु... ...	33,79,102	
डा० एस० फारुख अनुदान (जकात निधि)	1,24,762	
सुहैल अहमद अनुदान	2,296	
अनुदान ओल्ड बौएज एसो० कानपुर	36,104	
दयाखाना तिब्बिया कालिज एवं एस०एस०मार्ट से अनुदान...	5,19,075	
अनुदान हाजी इब्राहीम इसमाईल	1,09,841	
श्रीमती शक्ति रईस द्वारा अनुदान...	50,000	
डा० शंकर दयाल शर्मा का अनुदान स्वर्ण पदक हेतु . .	15,000	
श्रीमती उषा के० बघेजा अनुदान...	16,500	
श्री खुर्शीद आलम खां	8,000	
श्री सईद उल्लाह खां दंत महाविद्यालय हेतु	96,205	
श्री एम० आर० अली जैदी अनुदान	96,120	
यूनिवर्सीटी गेस्ट हाउस	12,36,008	
प्रो०पी०एन० कोला	1,05,063	
एच.ई. एप. ओबेद खान	2,00,000	
एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु भारतीयों के योगदान से बढी आय	1,28,90,233	
दन्त कालेज	1,86,50,000	
प्रकीर्ण अनुदान एवं निधी खाता–		
(i) स्टडीज आन माइनर फारेस्ट आयल अन्डर डा० एस० एम० उसमान (रसायन विज्ञान विभाग)	22,954	
(ii) परियोजना नं० ६४४ बायोटेकनोलोजी डा० सलाहउदीन सिद्दीकी के आधीन... ...	1,276	

31 मार्च, 2000

परिसंगत	धनराशि	धनराशि
भारतीय स्टेट बैंक का संदान अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु–		
आय से व्यय की अधिकता		3,157
अन्तिम अवशेष–		
अनुरक्षण अनुदान खाता		3,46,04,464
ए०एम०यू० विकास अनुदान खाता		2,04,68,142
ए० एम० यू० निक्षेप खाता–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० एम० यू० शाखा...		3,62,65,663
सिंडीकेट बैंक		5,449
ए० एम० यू० विकास छात्रावृत्ति अनुदान खाता–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिय (ए० एम० यू० शाखा, अलीगढ़)		50,84,634
ए० एम० यू० भविष्य निधि खाता–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए०एम०यू० बचत खाता) }		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० म०यू० (चालू खाता). }	5,68,132	
डाकघर बचत बैंक खाता	2,258	
इलाहाबाद बैंक ए० एम० यू० (अलीगढ़) ...	20,312	
		5,90,702
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिय, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		1,97,497
डा० वली मौहम्मद वक्फ निधि–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा(अलीगढ़)		69,493

तुलन पत्र

दायित्व		धनराशि	धनराशि
(iii)	जमाकर्त्ताओं का निक्षेप	91,91,191	
(iv)	प्रकीर्ण आकलन अवशेष (विवरण 4 के संलग्नक के अनुसार)	1,74,52,879	
(v)	उपकुलपति निधि	2,55,57,310	
(vi)	छात्र निधि, सिटी हाई स्कूल	25,38,635	
(vii)	छात्रा निधि, ए०एम०यू० गर्ल हाई स्कूल ...	46,44,169	
(viii)	विकास योजना		
	स्पेशल वार्ड जे०एन०एम० सी० अस्पताल ...	62,78,817	
रेडियो डाइगोनोसिस भ्रमत निधि		97,80,277	12,81,71,549
भविष्य निधि		59,36,38,339	
वापसी हेतु प्राप्तियाँ		3,01,516	
अन्तर्निधि अग्रिम		68,80,279	60,08,20,134
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि-			
दानों का पूँजीकृत मूल्य			61,84,324
डा० वली मौहम्मद वक्फ निधि-			
दानों का पूँजीकृत मूल्य		5,46,911	
आय की व्यय से अधिकता		54,342	6,01,253
स्वर्ण जयन्ती-			
दानों का पूँजीकृत मूल्य		1,98,680	
आय की व्यय से अधिकता		11,718	2,10,398
शेख जैद पैटोलियम इन्स्टीट्युट-			
शेख जैद के दान का पूँजीकृत मूल्य		25,06,241	
आय की व्यय से अधिकता		6,76,573	31,82,814
परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि-			
दानों का पूँजीकृत मूल्य		7,11,056	
आय की व्यय से अधिकता		4,471	7,15,527

31 मार्च, 2000

परिसंगत	धनराशि	धनराशि
स्वर्ण जयन्ती निधि–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिय, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		26,077
परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि–		
सिन्डीकेट बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़) ...		1,11,790
बीबी फातिमा वक्फ–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिय, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)...		66,539
छात्रावृत्ति खाता–		
इलाहाबाद बैंक, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)...		19,25,903
छात्रवृत्ति खाता (पिछड़ा वर्ग)		43,575

तुलन पत्र

दायित्व	धनराशि	धनराशि
बीबी फातिमा वक्फ–		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	1,16,013	
आय की व्यय से अधिकता	2,615	
		1,18.628
भारतीय स्टेट बैंक का संदान–		
अर्थशास्त्रा में चेयर की स्थापना हेतु दान का पूँजीकृत मूल्य		2,956
भ्रमत निधि गृह निर्माण अग्रिम हेतु–		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त तथा निक्षेप खाता से हस्तांतरित धनराशि का पूंजीकृत मूल्य...	2,71,77,420	
आय की व्यय की अधिकता	1,44,17,669	
छात्रवृत्ति खाता		4,15,95.089
दानों का पूंजीकृत मूल्य	20,000	
आय की व्यय की अधिकता	23,575	43,575
छात्रावृत्ति खाता–		
छात्रावृत्तियों का पूँजीकृत मूल्य		21,42,278
ए०एम०यू० स्टूडेन्ट वेलफेयर फण्ड–		
दानों का पूँजीकृत मूल्य	81,67,878	
आय की व्यय से अधिकता	18,97,709	
		1,00,65,587
अन्तिम रोकड़ अवशेष–		
अर्थशास्त्रा में चेयर की	201	201
एम.एम.यू. विकास कारपस खाता		
दानों का पंजीकृत मूल्य	26,00,608	
आय की व्यय से अधिकता	5,503	
		26,06,111
शेख जेद इन्स्टीटयूट आफ पैट्रोलियम तथा टैक्नोलाजी		13,956
महायोग ...		
		1,98.94,21,714

ह० (एस०के० अमान उलाह)
सहायक वित्त अधिकारी

ह० (एस०ए०एच० काजमी)
उप वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2000

परिसंगत	धनराशि	धनराशि
ए०एम०यू० स्टूडेन्ट वेलफेयर निधि–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिय, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)...		19,03,368
ए०एम०यू० विकास कारपस निधि–		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		36,111
अमत निधि, गृह निर्माण अग्रिम कर्मचारियों के वास्ते –		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए०एम०यू० शाखा		1,93,77,740
महायोग– ...		1,98,94,21,714

ह० (एस० शमीम अहमद)
वित्त अधिकारी

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ के 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा एवं दिनांक 31 मार्च 2000 के तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय मे और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणो ओर संगठन की बहियो में किये गये उल्लेख के अनुसार यह लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रुप से तैयार किये गये हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ के कार्यकलाप का सही और उचित रुप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान :- इलाहाबाद
दिनांक :- 27.4.01

महालेखाकार(लेखापरीक्षा-प्रथम,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
NEW DELHI

Notification

Industrial Finance Corporation of India Bonds

In pursuance of Regulation 10 of the Industrial Finance Corporation (Issue & Management of Bond)Regulation, 1949, the following list for of Bond) Regulation ,1949,thefollowing list for the month ended Feb 2001 is hereby advertised of the Industrial Finance Corporation of India Bonds lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and and claims of the applicant is just. All persons other than the respective claimant named below who have any claim upon those bonds should communicate immedaitely with the Regional Director ,Reserve Bank of India, Public Debt Office, New Delhi.

The list has been divided in two parts. List 'A'being securities now advertised for the first time and list'B'for the securities previously advertised.

List 'A'

No of the Securities	Loan	Value in Rs.	In whose name issued	Interest due from	Name of claimant for issue of duplicaate or payment of discharge value	No & Date of orders issued
1. DH-000818	8.75% IFCI-2000	Rs One Lac	Bharat Heavy Electric Ltd Employees Provident Fund	Last instalment to be paid	Bharat Heavy Electricals Ltd Employees Provident Fund	LN-1/2000 dt 10.2.2001
2. DH-000819	-do-	Rs. One Lac	-do-		-do-	-do-

List'B'

NIL

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
NEW DELHI

CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT
CENTRE - 1, WORLD TRADE CENTRE
CUFFE PARADE, COLABA, MUMBAI - 400 005

DBOD.No, 39 /08:21:001/2001 4th July 2001

NOTIFICATION

Reserve Bank of India has, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (Act No. 23 of 1955) nominated Dr. Y.V.Reddy, Deputy Governor, Reserve Bank of India as a director of the State Bank of India with effect from 4th July 2001, vice Shri Jagdish Capoor.

(G.P.Munlappan)
Deputy Governor

STATE BANK OF INDIA

CORPORATE CENTRE

Mumbai, the 17th May 2001

No.S&P/82

In pursuance of Regulation 76 (1) of the State Bank of India General Regulations 1955, framed under Section 50 of the State Bank of India Act 1955, the Executive Committee of the Central Board hereby authorises the undernoted category of officers to exercise signing powers to the extent specified below :

CATEGORY OF OFFICERS	SIGNING POWERS
JUNIOR MANAGEMENT GRADE SCALE - I OFFICERS OTHER THAN THOSE DESIGNATED AS BRANCH MANAGERS, DY. MANAGERS / MANAGERS OF DIVISIONS, ACCOUNTANTS AND FIELD OFFICERS.	To sign the instruments, such as Drafts, Banker's Cheques, Guarantees & LCs, TT Confirmation Advices, Transfer Responding Advices (SC Payments) and Confirmation of Telegraphic Payment Advices etc. **(a) When they sign individually** For amounts below Rs.50,000/- **(b) When they sign jointly with another official, who has full signing powers, on instruments for Rs.50,000/- and above** For unlimited Amounts

All officers of the Bank on whom above signing powers are conferred shall continue to exercise the powers conferred on them for the discharge of their function notwithstanding the place of their posting.

The existing notifications as to signing powers shall operate subject to the above modification and to the extent to which those are not inconsistent with anything contained in this notification.

By the order of the Executive Committee of the Central Board

No.PNB/DAC/P/1/2001
PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE:NEW DELHI

July30, 2001

CORRIGENDUM

As a Corrigendum to the Notification dated 26.3.2001 bearing No.PNB/DAC/P/1/2001 published in Part III Section 4 of Gazette of India vide No.18 dated 5.5.2001, the 9th line of Point No.2 starting with "honesty, devotion and diligence and to noth-" of the aforesaid Notification dated 5.5.2001 be corrected to read as under :

"honesty, devotion and diligence and do noth-"

(K.N. PRITHVIRAJ)
GENERAL MANAGER

VIJAYA BANK

Head Office

No.41/2, M.G.Road, Trinity circle, Bangalore-560 001

Dated : 25.07.2001

No. PER:IRD:2258:2001. In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies [Acquisition and Transfer of Undertakings] Act, 1980 [40 of 1980], the Board of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Regulations, 1981 namely :-

1. (I) These Regulations may be called the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Amendment Regulations, 2001.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Vijaya Bank Officer Employees' [Conduct] Regulations, 1981, in regulation 20, for sub-regulation [4], the following shall be substituted, namely:-

"[4] Every Officer employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs.25,000/-.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is –

[a] with a person having official dealings with the Officer employee; or
[b] otherwise than through a regular or reputed dealer."

[K. AMARNATH SHETTY]
GENERAL MANAGER [P&A]

BANK OF INDIA

R t No

Mumbai, dated 23.07.2001.

NO.IL:2001-02 In exercise of powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of the Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1 Short Title and Commencement:-

(1) These Regulations may be called the Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 in Regulation 6, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring Authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation - When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring Authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority."

(J.S. Dalal)
Deputy General Manager

UNION BANK OF INDIA
INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Date : 11.11.2000

No.3(a)/11.11.2000. In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette"

2. In the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976,

(i) in regulation 3, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interest of the bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do h

(ii) in regulation 3, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

(iii) in regulation 6, in sub-regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same".

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority".

(G.R.ANAND)
GENERAL MANAGER (P)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NEW DELHI dated the 6-7-2001

No. N-15/13/12/6/96-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the 1st August, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 19 55 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

"The areas comparising within the extended Municipal limits of Bikaner."

(N.R. DHINWAR)
DIRECTOR(P&D)

NEW DELHI dated the 10.7.2001

No. N-15/13/14/15/99-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the 1st August, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely

"Areas comprising the Revenue Villages of Senkuruchi,Kambiliampatti, Vangamanuthu, Madur, Periakottai, Kovilur,Thamaraipadi, Ammakulathupatti, Mullipadi of Dindigul Taluk and Vadamadurai, Thennampatti, Paganatham, Comberipatti, Pilathu,Kollapatti, Morepatti, Puthur, Velayuthampalayam, Singarakottai, Kanappadi, Velvarkottai and Padiyur of Vedasanthur Taluk in Dindigul District."

(N.R. DHINWAR)
DIRECTOR(P&D)

NEW DELHI dated the
24.7.2001

No. N-15/13/6/4/2000-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the 1st August, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"The areas within the Revenue Villages of Kattiparuthy and Athavanad in Tirur Taluk and Edapal village in Ponnani Taluk in Malappuram District."

(N.R. DHINWAR)
DIRECTOR(P&D)

MINISTRY OF LABOUR,
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)
HUDCO VISHALA, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-66

26 JUN 2001

No. 2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/357 Dated the

WHEREAS M/s. TATA INTERNATIONAL LTD., BLOCK-A, SHIVSAGAR ESTATE, DR. ANNIA BASANT ROAD, WORLI, MUMBAI-400018 (code No. MH/6659) alongwith its branches.

have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act:-

And WHEREAS, I Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the Employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Diposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/CPFC notification No.2/1959/EDLI/Exem./89/Pt.I dated16.8.93 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1.3.93 to 28.2.2002

upto and inclusive of the 28.2.2002

SCHEDULE - II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection , as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as the when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwith standing anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable apprtunity to the employee to explain point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establish ment do not remain coverec under the Life Cover Scheme of the said establishment of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

* 10. The establishment shall deposit a sum of rupees five lakhs in the State Bank of India under suitable entitlement (to be called life Cover Fund) and the employer shall ensure by replenishment of the shortfall from time to time so that at no time the the amount in the life cover fund is less than rupees five lakhs where for any reasons the employer fails to replenish the life cover Fund and the amount thereof is less than rupees, five lakhs, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblity for payment of asurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to said estt. shall ensure prompt pa payment of the sum assured to the sum assured to the nominee(s)/

* The Seed money will be enhanced as and when the premium rate revised by our Actuary.

legal heirs (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

(K. A. DWIVEDI)
Regional Provident Fund Commissioner

S.O. 361 .....Whereas M/s. **Leather Rubber Industries, Industrial Development Plot, West Hill, Koshikode-673005 (KR)** code No. KR/KK/11861 has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act,

And wheras the employer renewod the master policy upto **30.11.2000** and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above I C.P.F.C. cancelled the above said w.e.f. **1.7.2000**.

(K. A. DIWEDI)
Regional Provident Fund Commissioner.

GANGA YAMUNA GRAMIN BANK (Officers and Employees) Service Regulations 2001

In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of GANGA YAMUNA GRAMIN BANK (Name of the bank) after consultation with the State Bank of India (Sponsor Bank) being the sponsor bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations namely.

गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक

अध्यक्ष

(AWTAR KRISHAN)

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application

I) These regulations may be called GANGA YAMUNA GRAMIN BANK (Name of the Bank) (Officers and Employees) Service Regulations, 2001 (Year).

ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

iii) They shall apply to every officer and employee of the Bank.

Provided that they shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to:

a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract

b) a person on deputation from Sponsor Bank or the Central Government or the State Government or any other organisation.

2. Definitions

In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context -

a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976):

b) "Appointed date" means the first day of September 1987:

c) "Appointing Authority" means the authority prescribed in Regulation 5 (1).

d) "Area Manager" means an officer holding the charge of Area Office for time being.

e) "Bank" means the GANGA YAMUNA GRAMIN BANK (Name of the Bank) established under Sub-Section (1) of Section 3 of the Act. :

f) "Board" means the Board of Directors of the Bank.

g) "Branch Manager" means an officer holding charge of a branch for the time being.

h) "Calendar Year" means the period commencing from the 1st day of January of an year and ending with 31st day of December of such year:

I) "Competent Authority" means the Chairman in the case of officers and the officer designated by the Chairman in the case of employees.

j) "Duty" includes

a) service as a probationer;

b) period during which an officer or employee is on joining time;

c) period spent on casual leave, special casual leave duly authorised by the Competent authority;

and

d) Period spent on training while in service.

k) "emoluments" means the aggregate of salary and allowances, if any;

l) "employee" means a person appointed to any of the posts specified in Regulations (a) (2) and (3), and includes such employees whose services are temporarily lent to other organisations.

m) "family" means and includes the spouse of the officer or employee (if the spouse is also not the officer or employee of the Bank) and children, parents, brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee, but shall not include a legally separated spouse:

n) "Officer" means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 (a) (1).

o) "Pay" means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay-scale including stagnation increments and any part of the emoluments, which may specifically be classified as pay under these Regulations:

p) "Salary" means the aggregate of pay and dearness allowance:

q) "Sponsor Bank" means the State Bank of India and

r) "Senior Manager" means an officer not below the rank of officer in Scale II holding charge of a department in Head Office.

CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES, APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

3 Classification of Officers and employees

(a) The officers and employees of the Bank shall be classified as follows

(1) Group A - Officer cadre

i) Scale I

ii) Scale II

iii) Scale III

with designation in relation to any of the scales

i) Officer

ii) Branch Manager

iii) Area Manager

iv) Senior Manager

and such other scales or designations as may be specified by the Board from time to time with the approval of the Central Government

(2) Group B - Clerical cadre

Clerical staff, namely Clerk-cum-cashier, Clerk-cum-typist, Stenographer and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(3) Group C - Subordinate cadre

(a) Subordinate staff namely Messenger, Messenger-cum-sweeper, Driver, Driver-cum-Messenger, Part-time Messenger-cum-Sweeper, Security Guard and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(b) Nothing in this Regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the officers or employees serving the Bank.

4. Temporary employees

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, the Chairman may, subject to such general or specific instructions as may be issued by the Board from time to time, engage persons in Clerical Cadre and/or Subordinate Cadre on adhoc and/or temporary basis for a period not exceeding 60 days in a year to meet any exceptional need or circumstance.

Provided that Such appointments on adhoc and/or temporary basis shall be made in consultation with the Sponsor Bank.

5. Appointment in the Bank's service

(1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of Officers. The General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employees.

Provided that if there is no incumbent in the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employees also.

(2) All appointments in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act save as provided in Regulation 4.

(3) Every officer or employee on his/her first appointment in the service of the Bank, shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be prescribed or recognised by the Bank.

(4) (I) **Disqualification - No person**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living

or

(b) who having a spouse living have entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Appointing Authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt from the operation of this Rule.

(II) **Declaration**

Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall furnish a declaration about his marital status as per Schedule II

6. Scales of Pay and Allowances

The scales of pay, allowances and increments of an officer or employee appointed to a post in any of the Groups referred to a Regulation 3, shall be such as may be determined by the Central Government, from time to time, under Sub-Section (1) of Section 17 of the Act.

7. Commencement of Service

Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he/she reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the offer of appointment made to him/her.

Provided that in the event of his/her joining in the afternoon of such working day, he/she shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.

8. **Probation**

i) An officer directly appointed in Scale I shall be on probation for a period of two years, which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding one year.

ii) An employee promoted to a post in Scale I of Officer Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

iii) An Officer promoted in higher scale shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

iv) (a) An employee directly appointed in Clerical or Subordinate Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.

(b) An employee in Subordinate Cadre promoted to a post in clerical cadre shall be on probation for a period of six months which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding three months.

v) Probation period in case of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extraordinary leave availed of by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during such period.

Confirmation

i) An officer or employee shall be confirmed in the Bank's service if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.

ii) Where during the period of probation, including the period of extension of probation, if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee is not fit for confirmation in the said post.

a) In the case of a directly appointed officer or employee his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu thereof.

b) In the case of an officer or employee promoted from the Bank's service he may be reverted to the post from which he was promoted.

10. **Termination of Service by Notice**

(1) (a) No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign.

(b) The period of notice required shall be:-

i) Three months in the case of an Officer and

ii) One month in the case of an employee

(c) In case of breach by an officer or employee of Sub-Regulation (1) (b), he/she shall be liable to pay to the Bank as compensation, a sum equal to his/her pay for the period of notice required of him/her.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in Sub-Regulation (1) an officer or employee against whom disciplinary proceedings are pending, shall not be discontinue or resign from his/her service in the Bank without the prior approval in writing of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such officer or employee before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority

Explanation

Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against an officer or employee for the purpose of this Regulation, if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him until final orders are passed by the Competent Authority.

11. Superannuation and Retirement

(1) (i) An officer or employee shall retire on completion of 60 years of age.

Provided that the Chairman may at his discretion, on recommendation by the Special Review Committee as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire an officer or employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the bank, whichever is earlier.

Provided further that no officer or employee shall be retired under this Sub-Regulation unless notice in writing has been served on him/her atleast three months in case of an officer and one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months pay in case of an officer and one month's pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof.

Provided also that an officer or employee aggrieved by the order of the Chairman, as provided in Sub-Regulation (2), may within one month of the passing of the order give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months. Where the Board decides that the order passed by the Chairman is not justified, the concerned officer or employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.

(2) The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review whether an officer or employee should be retired in accordance with the Sub-Regulation (1). Such committee, shall, from time to time, review the case of each of such officers or employees and make recommendation to the Chairman.

Explanation

For the purpose of this Regulation the officer or employee whose date of birth is first day of month will retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation. The officer or employee who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calender month shall retire on the last day of that month.

RECORD OF SERVICE, SENIORITY, PROMOTION AND REVERSION

12. Record of Service

A record of service shall be maintained by the Bank in respect of each officer or employee at such place or places and shall be kept in such form and shall contain such information as may be specified from time to time by the Bank.

13. Seniority

I) The Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category-wise seniority lists within a Cadre, subject to the provisions of Sub-Regulations (3), (4), (5) and (6) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time.

II) The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the bank and circulated amongst the officers or employees as the case may be.

III) (a) The seniority of a promotee officer or employee in a cadre or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in that cadre or scale.

(b) Where there are two or more promotee officers or employees of the same length of the service in that cadre or scale, their inter-se seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale.

(c) Where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre or scale, their seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale as the case may be.

IV) The inter-se seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis-a-vis the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi letter No F 2/17/79-RRB dated the 29 April 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erstwhile Field Officers and/ or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers.

Provided that the inter-se seniority of officers or employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the Government letter No. 11-3/90-RRB(1) dated 22 February 1991 shall remain the same

v) The inter-se seniority of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection.

Provided that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank, the inter-se seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category.

14. Promotion

All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right to be promoted to any post or cadre.

Provided that promotions of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act.

15. Reversion

An officer or employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale or where confirmation in a higher cadre or scale is subject to the undergoing probation for any specific period or otherwise, shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating or undergoing probation.

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

16. Scope of an officer's or employee's service

Every officer or employee shall be a whole time officer or employee of the Bank and shall be at the disposal of the Bank, and he/she shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may, from time to time, be directed by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he/she may for the time being, be placed.

17. Liability to abide by the regulations and orders

Every officer or employee of the Bank shall conform to and abide by these Regulations, and shall also observe comply with and obey all orders and directions which may, from time to time, be given to him/her by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he/she may, for the time being, be placed.

18. Obligation to maintain secrecy

Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affairs of its constituents and shall not divulge, directly or indirectly, any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank's staff, unless compelled to do so by judicial or other authority or unless instructed to do so by a superior officer in the discharge of his duties. To signify this every staff shall subscribe to a declaration in Schedule No. 1.

19. Obligation to Promote the Bank's Interest

Every officer or employee shall serve the Bank honestly and faithfully, and shall use his/her utmost endeavour to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers.

20. Contribution to Press, Radio etc.

No officer or employee shall contribute to the press or radio or television etc., anything relating to the affairs of the Bank without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document, paper, or information which may come into his/her possession in his/her official capacity.

21. Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business

No officer or employee shall accept, solicit or seek any outside activity, employment or

office, whether stipendary or honorary without the previous sanction of the competent authority.

Provided that an officer or employee may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his/her official duties do not thereby suffer.

Provided further that he/she shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority.

Explanation

I) Every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency.

II) Canvassing by an officer or employee in support of the business of insurance agency or commission agency, owned or managed by a member of his/her family shall be deemed to be a breach of this Sub-Regulation.

III) No officer or employee shall, without the previous sanction of the Bank except in the discharge of his/her official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any cooperative society for commercial purposes.

Provided that an officer or an employee may take part in registration, promotion or management of a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, 1912, (2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

IV) No officer or employee shall accept any fee for any work done by him/her for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

22. Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance

I) An officer or employee shall not absent himself/herself from his/her duties without having obtained the permission of the Competent Authority, nor shall be absent in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate.

ii) An officer or employee who absents himself/herself from duty without leave or overstays his/her leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstayal and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose.

Provided that the Competent Authority may condone such absence or overstayal if he/she is satisfied that the Officer or Employee has remained absent or overstayed his leave under circumstances beyond his/her control and direct that such absence or overstayal be regularised by admissible leave.

23. Absence from Station

An officer or employee shall not absent himself/herself from his/her headquarters overnight without obtaining previous sanction from the Chairman, if he/she holds the charge of a Branch or the Officer-in-Charge or Branch Manager, in other cases.

24. Prohibition to accept gifts and dowry

(i) An officer or employee shall not solicit or accept or permit any member of his/her family or any other person acting on his/her behalf to accept any gift from a customer of the Bank or from any subordinate officer or employee.

ii) No officer or employee shall :

(a) give or take or abet the giving or taking of dowry

or

(b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation

For the purpose of this Regulation, dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

25. Speculation in stocks, shares etc

An officer or employee shall not speculate in stocks, shares, securities of any institution or commodities of any description.

Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his/her own funds in such manner as he/she may wish.

Explanation

Frequent purchase or sale of stocks, shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation for the purpose of this Regulation.

26. Restrictions on lendings, borrowings and investments

(1) No officer or employee shall, in his/her individual capacity :

(i) borrow or permit any member of his/her family to borrow or otherwise place himself/herself or a member of his/her family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person, association of persons, firms, company or institution, whether incorporated or not having dealings with the Bank.

(ii) buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in case of a sale.

(iii) incur a debt at a race meeting.

(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities and

(v) guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except the previous permission of the Competent Authority.

Provided that an officer or employee may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance of pay to his/her private employee.

Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a cooperative credit society of which he/she is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a cooperative credit society of which he/she is a member.

(2) An officer or employee shall so manage his/her private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness. An officer or employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his/her position half-yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps he/she is taking to rectify his/her position. An officer or employee who makes a false statement under this Rule or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his/her debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to dismissal.

Explanation 1. For the purpose of this Rule an officer or employee shall be deemed to be in debt if his/her total liabilities, exclusive of those which are fully secured, exceed his/her substantive pay for twelve months.

Explanation 2. An officer or employee shall be deemed to be unable to liquidate his/her debts within a reasonable time if it appears, having regard to his/her personal resources and unavoidable current expenses, that he/she will not cease to be in debt within a period of two years.

27. Movable, Immovable and valuable property

(1) Every officer on his/her first appointment shall submit a return of his/her assets and liabilities giving full particulars regarding:

(a) the Immovable property, inherited by him/her or owned or acquired by him/her or held by him/her on lease or mortgage, either in his/her name or in the name of any member of his/her family;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him/her or similarly owned or acquired or held by him/her;

(c) other movable property inherited by him/her or similarly owned or acquired or held by him/her and;

(d) debts and other liabilities incurred by him/her directly or indirectly;

Provided that in case of an officer who is already in service in the Bank on the date these Regulations come into force, shall submit a return in term of this Regulation within three months of coming into force of these Regulations, the return being with reference to the assets and liabilities as enumerated above, of the officer on the date of these Regulations come into force.

(2) Every officer shall submit a return of the immovable/movable property to the Bank as on 31st March of each year before 30th April of that year.

(3) No officer shall except with the prior intimation to the Competent Authority acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his/her own name or in the name of any member of his/her family.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transaction is;

(a) with a person having official dealings with the officer.

or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him/her either in his/her name or in the name of a member of his/her family if the value of such property exceeds Rs. 10,000/-

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is

(a) with a person having official dealing with the officer.

or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(5) Notwithstanding anything contained in the forgoing Sub-Regulation the Competent Authority may at any time, by general or special order require an officer or employee to furnish within a period to be specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him/her or on his/her behalf or by any member of his/her family as may be specified in the order and such statement, if so required by the bank, include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.

28. Restrictions regarding marriage

(1) (i) No officer or employee shall enter into or contract a marriage with a person having a spouse living.

(ii) No officer or employee, having a spouse living, shall enter into or contract, a marriage with any person.

Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee to enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that :

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer or employee and the other party to the marriage ; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An officer or employee who has married, or marries, a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank.

29. Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge

(1) An officer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in pursuance of any process of law, may, if so directed by the Competent Authority, be treated as being or having been under suspension from the date of his/her arrest, or as the case may be, of his/her detention, upto such date or during such period as the Competent Authority may direct.

Provided that in respect of the period in regard to which he/she is so treated he/she shall be paid subsistence allowance as specified in Regulation 44.

(2) Any payment made to an officer or employee under Sub-Regulation (1) shall be subject to adjustment of his/her pay and allowances which shall be made according to the

circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave.

Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee

(a) is treated as on duty during such period, and

(b) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority, in case of his/her release from his/her detention or his/her detention being set aside by the Competent Court, that he/she had not been guilty of improper conduct resulting in his/her detention.

(3) (a) An officer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 38, if he/she is committed to prison for debt or is convicted of an offence, which is the opinion of the Competent Authority, either involves moral turpitude, or has a bearing on any of the affairs of the Bank or on the discharge by the officer or employee of his/her duties in the Bank, the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee.

(b) Such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in Regulation 38 shall apply to such imposition.

(4) Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of Sub-Regulation (3) and the relative conviction is set aside by higher court and the officer or employee is honourably acquitted, he/she shall be reinstated in the service.

(5) Where the absence of an officer or employee from duty is without leave or his/her overstayal is due to his/her having been arrested for debt or on criminal charge or to his/her having been detained in pursuance of any process of law, the provisions of Regulation 22 shall also apply, and for the purpose of that Regulation as so applied, the officer or employee shall be treated as having absented himself/herself without leave or as the case may be, overstayed otherwise than under circumstances beyond his/her control.

30. Prohibition against participation in politics and contesting elections

No officer or employee shall take an active part in politics or in any political demonstration or contest election as member for a Municipal Council, Zila Parishad, District Board or any other local or legislative Body.

31. Prohibition against joining certain associations, strikes etc.

(1) No officer who is not a 'workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act 1947 shall;

(a) become or continue to be a member or office bearer of, or be otherwise directly or

indirectly associated with, any trade union of the employees of the Bank who are 'workmen' within the meaning of that Act, or a federation of such trade unions.

(b) resort to, or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his/her conditions of service or the conditions of service of any other employees of the Bank.

(2) In relation to any employee who officiates in a grade or post, which is not a grade or post of a 'workmen' as aforesaid, this Regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.

(3) No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, defamation or incitement to offence.

32. Giving evidence

(i) No officer or employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(ii) Where any approval has been accorded under Sub-Regulation (i), no officer or employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of State Government or of the Bank.

33. Function in honour of officer or employee

(i) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testamonial or attend any meeting or entertainment held in his/her honour or in the honour of any other officer or employee.

Provided that nothing in this Sub-Regulation shall apply to ;

(a) A farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his/her retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank and

(b) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of officers or employees.

(ii) (a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him/her to subscribe towards any farewell entertainment.

(b) No officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.

34. Canvassing

No officer or employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his/her interests in respect of matters pertaining to his/her service in the Bank.

35. Subscriptions

No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept contributions or otherwise associate himself/herself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.

36. Consumption of intoxicating materials

An officer or employee shall

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks, drugs or other materials in force in any area in which he/she may happen to be for the time being.

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks, drugs or other materials during the course of his/her duty and shall also take due care that the performance of his/her duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials.

(c) refrain from consuming any intoxicating drinks, drugs or other materials in a public place.

(d) not appear in a public place, in a state of intoxication.

Explanation

For the purpose of this Regulation "public place" means any place or premises (including clubs, even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests, bars and restaurants) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

37. Sexual harassment

No officer or employee shall commit any act of sexual harassment of women at work places.

Explanation

For the purpose of this Regulation, 'sexual harassment' includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as :-

(a) Physical contact and advances.

(b) Demand or request for sexual favours.

(c) Sexually coloured remarks.

(d) Showing any pornography or

(e) Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature

38. Penalties

Without prejudice to foregoing Regulations of this Chapter an officer or employee who commits a breach of these Regulations or who displays negligence, inefficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct, shall be liable for any one or more penalties as prescribed hereinafter.

1. Officers

(a) **Minor Penalties**

(i) Censure

(ii) Withholding or stoppage of increments of pay with or without cumulative effect.

(iii) Withholding of promotion.

(b) **Major Penalties**

(i) Recovery from emoluments or such other amounts as may be due to him/her, of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders

(ii) Reduction to a lower grade or post, or to a lower scale in a time scale.

(iii) Compulsory retirement.

(iv) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(v) Dismissal.

Explanation

The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulation

(i) Withholding of one or more increments of an officer on account of his/her failure to pass a prescribed departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he/she holds

(ii) Stoppage of increment(s) of an officer at the efficiency bar in a time scale on the grounds of his/her unfitness to cross the bar

(iii) Not giving an officiating assignment or non-promotion of an Officer to a higher grade or post for which he/she may be eligible for consideration, but for which he/she is found unsuitable after consideration of his/her case

(iv) Reserving or postponing the promotion of an Officer for reasons like completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings

(v) Reversion to a lower grade or post of an Officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he/she is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post, or on administrative grounds unconnected with his/her conduct.

(vi) Reversion to the previous grade or post of an Officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his/her appointment or rules, or orders governing such probation.

(vii) Reversion of an Officer on deputation to his parent organisation.

(viii) Termination of service of an Officer ,

(a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he/she was appointed, or earlier in accordance with the terms of his/her appointment

(b) appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement and

(c) as part of retrenchment

Provided that where it is proposed to impose, any of the minor penalties specified in sub-clause (i) to (iii) of clause I of this Regulation, the officer concerned shall be informed in writing of the inputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended penod as may be granted by the Competent Authority and the defence statement, if any, submitted by the officer shall be taken into consideration by the Competent Authority before passing orders

Provided further that no order imposing any of the major penalties specified above shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the officer and enquiry held so that he/she shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself/herself.

Provided also that an enquiry need not be held if;

(i) the misconduct in such cases even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal; and

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him/her of the misconduct and the punishment for which he/she may be liable for such misconduct, and

(iii) the officer make a voluntary admission of his/her guilt in his/her reply to the aforesaid show cause notice.

II. Employees

(a) Penalties for minor misconduct

(i) censure

(ii) recording of adverse remarks against him/her.

(iii) withholding of increment for a period not exceeding 6 months.

(b) Penalties for major misconduct

(i) fine.

(ii) withholding of increment(s).

(iii) withdrawal of special allowance.

(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of 2 years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay.

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(vi) dismissal.

ovided that no order imposing any of the penalties specified above for major misconduct shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the employee and enquiry held so that he/she shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself/herself.

Provided further that an enquiry need not be held if ;

(i) the misconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose punishment of removal or dismissal ; and

(ii) the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him/her of the misconduct and the punishment for which he/she may be liable for such misconduct ; and

(iii) the employee makes a voluntary admission of his/her guilt in his/her reply to the aforesaid show cause notice.

39. Waiver of the procedure

The requirements of Regulation 38 may be waived by the Competent Authority

(a) if the facts on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court Martial or

(b) where the officer or employee has been convicted on a criminal charge or

(c) where the officer or employee has been absconding or

(d) where it is for any other reason impracticable to communicate with him/her or

(e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure prescribed under Regulation 38.

Provided that no requirements of Regulation 38 may be waived unless reasons for doing so are recorded in writing and placed before the Board.

40. Delegation of the power to enquire

The enquiry under Regulation 38 and the procedure with the exception of final order, may be delegated by the Competent Authority to an officer who is senior to the officer against whom the proceedings are instituted and in the case of an employee to an officer.

Provided that the Competent Authority may, in his/her discretion, nominate any officer working in the Bank, including those deputed from other institutions, to conduct the enquiry.

41. Common enquiry

Notwithstanding anything contained in these Regulations, if two Officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the Competent Authority in respect of both the officer and employee should be the same, the Chairman may direct that the Competent Authority in respect of the Officer shall be the Competent Authority in respect of

both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them and the delegation of power to enquire under Regulation 40 and the procedure, with the exception of the final order shall be in favour of the same enquiry officer.

42. Corrupt Practices

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the following provisions shall apply where it is alleged that an officer or employee has been guilty of corrupt practices, namely :

(i) Where it is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he/she has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman, the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman:

(ii) If after considering the report on the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima facie case of instituting disciplinary proceedings against the officer or employee, he/she may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceedings should be taken up against the officer or employee concerned.

(iii) If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceedings should be instituted against the employee concerned, then, the enquiry under this Regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose.

(iv) The Enquiry Officer shall submit his/her report to the Competent Authority and the report shall be forwarded by the Competent Authority to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges, as the case may be, can be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 38. The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission.

Explanation - An officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he/she has committed an act of criminal misconduct as defined in Section 13, 14, 15 and 16 of

the Prevention of Corruption Act, 1988 or he/she has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his/her powers with an improper or corrupt motive.

43. Restrictions on engagement of a Legal Practitioner

For the purpose of enquiry, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.

44. Disciplinary proceedings after retirement

(i) An officer or employee under suspension of a charge of misconduct who attains the age of superannuation, shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon. Such suspended officer or employee shall not be eligible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.

(ii) The officer or employee against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he/she was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer or employee will not receive any pay and/or allowances after the date of superannuation. He/She will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his/her own contribution to CPF.

Explanation: The normal retirement benefits such as encashment of Privilege leave and Gratuity should be withheld till the completion of the disciplinary proceedings and passing of final order by the Competent Authority. The release of benefits would be as per the final order of the said Authority.

45. Suspension

An officer or employee may be placed under suspension by the Competent Authority. During such suspension the officer or employee shall be entitled for subsistence allowance as under;

1. In case of an Officer

(A) Basic Pay

(i) For the first three months of suspension 1/3rd of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of the enquiry.

(ii) For the subsequent period ;

(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the basic pay the officer was drawing on the date prior to the date of suspension.

(b) where the enquiry is held by an outside agency 1/3rd of the basic pay for the next three months and one half of the remaining period of suspension.

(B) Allowances

For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowances, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of (i) and (ii) of clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.

2. In case of an Employee

(A) Basic Pay

(i) For the first three months of suspension 1/3rd of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.

(ii) For subsequent period ;

(a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank, 1/2 of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension.

(b) After one year full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative(s).

(c) Where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay will be payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension, whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative(s).

(B) Allowances

For the entire period of suspension dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of Sub-Clause (i) and (ii) (a) of Clause A at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees.

Provided that no officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

Provided further that if during the period of suspension an employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.

46. Treatment of suspension period and allied matters

The Competent Authority may, while imposing penalty, also direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension, for the period he/she was under suspension and that, if the Competent Authority decides otherwise, no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or employee to refund such subsistence allowance. The period during which an officer or employee is under suspension shall, if he/she is not removed/dismissed from the services, be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct.

47. Right to appeal

(I) An officer or employee shall have right of appeal against any order passed under these Regulations which injuriously affects his interest.

(II) The appeal shall be preferred to the Appellate Authority mentioned in Regulation 48 within 45 days of the date of receipt of the order appealed against. The Appellate Authority shall consider the appeal and pass suitable order preferrably within a period of 6 months.

48. Appellate Authority

An appeal shall lie ;

(I) to the Board where the Chairman or Committee of Directors is the Competent Authority.

(II) to the Chairman where any other officer is the Competent Authority.

49. Requirement of an appeal

Every appeal shall comply with the following requirements;

(a) it shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage.

(b) it shall contain all material statements and arguments relief on and shall be complete in itself,

(c) it shall specify the relief desired

(d) it shall not be addressed to directors personally.

PAY AND ALLOWANCES

50. When accrue and payable

Subject to the provisions of these Regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the said month.

51. When ceases

(i) Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in the service.

(ii) In case of an officer or employee dismissed from the Bank's service, the pay and allowances shall cease from the date of dismissal.

(iii) In the case of an officer or employee who dies while in service, the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

52. Increments

In a scale, the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service be probationary, officiating or substantive.

Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual.

LEAVE AND JOINING TIME

53. Kinds of leave

Subject to the provisions of these Regulations an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave :

(a) Casual Leave.

(b) Privilege Leave.

(c) Sick Leave.

(d) Extra-ordinary Leave.

(e) Special Casual Leave and Special Leave.

(f) Maternity Leave.

54. Authorities empowered to grant leave

The power to grant leave shall vest in the Competent Authority.

55. Power to refuse leave or recall an officer or employee on leave

(i) Leave cannot be claimed as a right. When exigencies of the service so require, discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the Competent Authority.

(ii) An officer or employee on leave may be recalled to duty by the Competent Authority whenever the Bank deems fit to do so.

Provided that if the officer or employee is at that time out of headquarters, he/she shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for returning to the headquarters.

56. Place of reporting on return from leave

An officer or employee on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place where he/she was posted before proceeding on leave.

57. Leave not admissible for an officer or employee placed under suspension

No leave shall be granted to an officer or employee under suspension.

58. Casual Leave

(1) An officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year.

Provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one time, and

Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at any one time beyond six days.

(2) Casual leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro-rata basis at the rate of one day for each completed month or part thereof.

(3) (a) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an officer.

(b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted into sick leave on full substantive pay in respect of employees. Such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits prescribed in Regulation 60.

(4) Casual leave may not be granted in combination with any other kind of leave except as provided under Sub-Regulation (3)(a) above, special casual leave under Regulation 62 and maternity leave under Regulation 63.

59. Privilege Leave

(a) Scale on which Privilege leave is earned

(1) An officer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty.

Provided that at the commencement of service no privilege leave may be availed of, before completion of 11 months of service on duty.

(2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the period which he/she has earned less the period availed of.

(3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.

(4) Privilege leave may be accumulated upto 31st December 1989 for an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days .

(b) When application should be submitted

(i) Application for privilege leave shall be submitted by an officer or employee one month before the date from which leave is required.

(ii) Application which does not satisfy the above requirement of Sub-Regulation (b)(i) may be refused without assigning any reason.

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such notice was not possible, he/she may waive this requirement at his discretion.

60. Sick Leave

(1) The sick leave/medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year

(2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service, which he/she is likely to tender, in the sick leave/medical leave of the calendar year in which he/she is appointed.

(b) The credit for the sick leave/medical leave in which an officer or employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month upto the date of retirement or resignation.

(c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of sick leave/medical leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he/she is removed or dismissed from the service or dies in service.

(d) Where a period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave/medical leave, the credit to be afforded to his/her sick leave/medical leave account at the commencement of next sick leave/medical leave shall be reduced by one eighteenth of the period of 'dies non' subject to a maximum of ten days.

Provided that sick leave/medical leave can be accumulated during his/her entire service subject to the following conditions;

(i) An officer or employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick/medical leave.

Provided that if an officer or employee so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him/her twice the amount of such period on full emoluments being debited against his/her sick/ medical leave account.

(ii) Sick/medical leave will be granted on pro-rata basis during the first year of service.

(iii) Sick/medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by medical practitioner acceptable to the Bank.

(iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick/medical leave shall produce medical certificate to the satisfaction of the Bank saying that he/she is it for the duty.

Explanation

1. Till the appointed date an officer or employee is eligible for 20 days sick/medical leave for each completed year of service. Such leave can be accumulated upto 180 days.

2. From the appointed date an officer or employee shall be eligible for 20 days of sick/ medical leave for each completed year of service.

61. Extra ordinary Leave

(1) Extra ordinary leave may be granted to an officer or employee when no ordinary leave is due to him/her and when having regard to his/her length of service, sick leave is not considered justified by the Competent Authority. The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his/her service.

Provided that in exceptional circumstances the Chairman may with the approval of Board grant extra ordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee

Provided further that in case of chronic sickness of an officer or employee, the Chairman may with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him/her and the Board, while according such approval, shall record the specific reasons therefore in writing.

(2) The Competent Authority may grant extra ordinary leave in combination with or in continuation of leave of any other kind admissible to the officer or employee save as otherwise provided in these Regulations.

(3) No pay and allowances are admissible during the period of extra ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment

Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of the officer or the employee, he/she may direct that the period of the extra ordinary leave would count for increment

62. Special casual leave and special leave

An officer or employee may be granted special casual leave and special leave for the sports, donation of blood, family planning, defending another officer or employee in an enquiry, or for joining civil defence services or any other purpose as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government

63. Maternity Leave

(i) Leave upto a period of three months at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion, so however, that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer or employee

(ii) Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request supported by a certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank

64. Lapse of Leave

All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he/she ceases to be in the service of the Bank

Provided that where an officer or employee dies in service, there shall be payable to his/her legal representatives, sums which would have been payable to the officer or employee as if he/she has availed of the privilege leave that he/she had accumulated at the time of his/her death subject to Sub-Regulation (a) (4) of Regulation 59

Provided further that where a staff retires from the Bank's service, he/she shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he/she had accumulated subject to Sub-Regulation (a) (4) of Regulation 59

Provided also that in respect of the employee whose his/her services are terminated owing to retrenchment, he/she shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at his/her credit.

65. Furnishing of Leave Address to the Bank

An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves his/her place of duty

shall furnish to the Bank, the address at which he/she can be contacted while out of headquarters.

66. Commencement and Termination of Leave

(i) The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that upon which he/she hands over charge.

(ii) The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his/her return to duty.

67. Joining Time

(1) An officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him/her ;

(a) to join a new post to which he/she is appointed while on duty in his/her old post,

or

(b) to join a new post on return from leave.

(2) The period of joining time shall be ;

(a) in respect of an officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent on travel, and

(b) in respect of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel.

(3) During the period spent on joining time, an officer or employee shall be eligible to draw the emoluments at the place of old or new posting, whichever is less.

(4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee, the day on which he is relieved from his/her post shall be excluded.

Provided that public holidays following tha day of his/her relief shall not be included in computing the joining time.

(5) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer does not involve a posting to a different place.

(6) No joining time shall be admissible to an officer or employee when his/her posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he/she is permanently posted.

(7) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer is at his own request.

MISCELLANEOUS

68. Provident Fund and Pension

(1) An officer or employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employees' Provident Fund. The contribution to the Provident Fund by the officer or employee and the Bank shall be in the accordance with the provisions of the aforesaid Act.

(2) (a) An officer or employee covered under the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) shall be governed by the provisions of Employees Pension Scheme 1995 framed by the Government of India in exercise of the powers conferred by Section 6A of the said Act.

(b) The Pension Scheme so framed shall come into force from the 16th day of November 1995.

69. Gratuity

1. An officer or employee shall be eligible for payment of gratuity in accordance with the Sub-Regulation 2 hereunder.

2. The amout of gratuity payable to an officer or employee shall be either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 or as per Sub-Regulation (3) hereunder whichever is higher.

3. (i) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on ;

(a) Retirement.

(b) Death.

(c) Disablement rendering him/her unfit for further service as certified by Medical Officer approved by the Bank, or

(d) Resignation after completing 10 years of continuous service, or

(e) Termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only.

(ii) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one months pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of the 15 month's pay.

Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn.

Provided also that in respect of an employee pay for the purpose of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months, preceeding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

70. Domicile

(1) Every officer or employee shall on his/her appointment declare his/her domicile in writing to the Bank in Form B in Schedule III and if such domicile is not his/her birth place he/she must establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.

(2) No officer or employee who has once indicated his/her domicile, shall be allowed to alter the same unless he/she satisfies the Bank that the change is bonafide and in no case may an officer or employee be permitted to change his/her domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession.

71. Transferability

Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.

72. Implementation and Interpretation of Regulations

(1) The Chairman may, from time to time, issue such instructions or directions as he/she may, consider necessary for giving effect to, or carrying out the provisions of these Regulations.

(2) The Government of India may after consultation with the National Bank interpret these Regulations as and when considered necessary.

73. Repeal and Savings

(1) Every rule, regulation, bye-law, or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employees is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations.

(CAWTAR KRISHAN)

Schedule I

(See Regulation 18)

Declaration of Fidelity and secrecy

Place:

Date :

I, _____ do hereby declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the_____ Bank and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

I further declare that I will not divulge or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic records belonging to or in possession of the said Bank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with the said Bank.

Signed before me

Signature
Name in full
Designation

CARE : (To be on the lines of GOI Rules)

Schedule - II

(See Regulation 5 (4))

Declaration to be obtained from every officer or employee on first appointment.

I, Shri/Smt/Kum_____

s/o, w/o, d/o _____ declare as under

(i) That I am unmarried / a widower / widow.

(ii) That I am married and have only one spouse living.

(iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for a grant of exemption is enclosed.

(iv) To be modified

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date: **Signature**

SCHEDULE - III

Form B

Declaration of Domicile

(See Regulation 70)

Place :

Date :

I, the undersigned, having been appointed in the service of the _____Bank hereby declare _____ (Place) in _____ (District) as my place of domicile.

2. * The above is my place of birth

or

* The above is not my place of birth. My place of birth is _____ (Place) in _____ (District) but _____ (Place) has been declared as my place of domicile for the reasons given below.

_____

_____

Name in full

Designation and

Nature of appointment

Date of appointment

Signature

(AVTAR KRISHAN)

* Strike out whichever is not applicable

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)
(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT 1948)

Ref. No.17-1/2001 PCI/ 7784-7985 Dated :-

The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India at its 67th meeting of the Council held in August, 2000 & 68th meeting of the Council held in May, 2001 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

Resolution No.67/PCI/1281 **DIPLOMA**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Andhra Pradesh	For admns. limited to	Approved upto academic session
S.V.C.M. Polytechnic Badvel - 516 227 Cuddapah	1 (In respect of Sri Y. Siva Prasad)	for 1996-97

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Secretary, State State Board of Tech. Education & Training, B.R.K.R Building, 7th Floor, Near Tank Bund Road, Hyderabad - 500 063 (Andhra Pradesh), during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1282

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Assam	For admns. limited to	Approved upto academic session
Institute of Pharmacy Guwahati Medical College Guwahati – 32	60	From 1998-99 to 2001-2002

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Director, Technical Education, Kahilipara, Guwahati – 781 019 Assam, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1283

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Assam	For admns. limited to	Approved upto academic session
Institute of Pharmacy Assam Medical College Dibrugarh - 786 002	100	From 1998-99 to 2001-2002

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Controller of Examination, Dibrugarh University, Dibrugarh – 786 004, Assam, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1284

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Karnataka	For admns. limited to	Approved upto academic session
G.M. College of Pharmacy Widia Nagar, Town Ship Nelamangala By-Passs Bangalore – 562 123	60	From 1999-2000 to 2001-2002

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Chairman, Board of Examining Authority, C/o Office of the Drugs Controller for the State of Karnataka, Palace Road, P.B. No.5377, Bangalore - 560 001, Karnataka, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1285

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Mizoram	For admns. limited to	Approved upto academic session
Regional Para Medical and Nursing Training Institute Chandmari, Aizawl	30	From 1997-98 to 2001-2002

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Director, Mizoram State Council for Technical Education (MSCTE), Aizawl, Mizoram – 796 001, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1286

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under .

Name of institution in Pondicherry	For admns. limited to	Approved upto academic session
Mother Teresa Institute of Health Sciences (A Govt. of Pondicherry Instt.) Pondicherry – 605 001	20	From 1998-99 to 2001-2002

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Controller of Exams. Medical Superintendent, Govt. General Hospital, Pondicherry, (U.T.) during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1287 **DEGREE**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Gujarat	For admns. limited to	Approved upto academic session
Shri B.M.Shah College of Pharmaceutical Education & Research (Degree Pharmacy) College Campus, Modasa - 383 315 Dist. S.K.	60	From 1998-99 to 2002-2003

(2) In pursuance of the provisions of sub section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in

Pharmacy held by the Registrar, North Gujarat University, P.B. No.21, University Road, Patan – 384 265, Gujarat, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.68/PCI/1288

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institution in Maharashtra	For admns. limited to	Approved upto academic session
Smt. Sharadchandrika Suresh Patil College of Pharmacy Chopda – 425 107, Dist. Jalgaon	40	From 1996-97 to 2002-2003

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, North Maharashtra University, Umavinagar, P.B. No.80, Jalgaon - 425 001 Maharashtra & the Registrar, Maharashtra University of Health Sciences, Anand Vihar Colony, Anandvalli, Gangapur Road, Nashik - 422 005, Maharashtra, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

(ARCHNA MUDGAL)
Secretary

UNIT TRUST OF INDIA

MUMBAI

UT/DBDM/SPD-51/ B-41 /2001-2002 **31st July 2001**

The amendment to paragraph 13 of the provisions of The Reinvestment Plan, 1966 pursuant to paragraph 20 of the said plan approved by the Executive Committee at the meeting held at Mumbai on 26th July 2001, is published herebelow.

P B VIJAYARAGHAVAN
DEPUTY GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING

ANNEXURE

The following is added to paragraph 13 of the provisions of Reinvestment Plan, 1966

Notwithstanding anything contained in the paragraph above, the Trust may offer for repurchase such number of units during such period as may be decided by the Trust from time to time to any member in the Plan irrespective of the fact that he is a holder of more than such number of units either represented by one account or more than one account in the Plan at such price/prices and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Trust.

UT/DBDM/SPD-51/ 8 -41 /2001-2002 **31st July 2001**

The amendment to the provisions of Children's Gift Plan 1970 formulated under section 19 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) applicable to units issued under the Unit Scheme, 1964 made under section 21 of the said Act, approved by the Executive Committee in the meeting held on 26th July 2001, is published herebelow.

P B VIJAYARAGHAVAN
DEPUTY GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

ANNEXURE

1. The following paragraph is added at the end of paragraph 12. of the provisions of Children's Gift Plan 1970.

Notwithstanding anything contained as aforesaid, the Trust may offer the following options to the members/unitholders under the Plan: -

1. cash payout of income distribution or
2. continuation in the CGP 1970 and reinvestment of the amount of income distribution declared at the first sale price declared under US 64 after suspension of sales under US 64, if any, ends or
3. allow the amount of income distribution to be invested in the units of any other scheme/plan of the Trust that may be opened for sale at that time at the sale price applicable on the date of payment of income distribution or on any such other date as may be decided by the Trust or
4. any such other option/s as may be deemed appropriate by the Trust from time to time.

2. The following paragraph is added at the end of paragraph 14 of the provisions of Children's Gift Plan 1970.

Notwithstanding the above provision, the Trust may restrict the repurchase to such number of units during such period as may be decided by the Trust from time to time from out of the units eligible for repurchase/redemption and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Trust.

ANNUAL ACCOUNTS

ALIGARH MUSLIM

INCOME AND EXPENDITURE

EXPENDITURE		Amount Rs.	Amount Rs.
1. Administration-			
(i) Salaries	...	13,98,84,569	
(ii) Other Charges	...	1,18,85,358	
(iii) Common Services & General Charges	...	2,37,62,093	17,55,32,020
2. Academic Departments			
A. Faculties-			
(i) Salaries	...	46,36,58,506	
(ii) Other Charges	...	2,55,27,353	48,91,85,859
B. College-			
(i) Salaries	...	2,89,25,646	
(ii) Other Charges	...	13,43,423	3,02,69,069
C. General Education Centre-			
(i) Salaries	...	24,80,525	
(ii) Other Charges	...	10,81,241	35,61,766
D. Career Planning Centre Other Charges	...		80,533
3. Examinations-			
(i) Salaries	...	1,08,76,005	
(ii) Other Charges	...	1,50,64,306	2,59,40,311
4. M.A. Library-			
(i) Salaries	...	1,52,71,589	
(ii) Other Charges	...	1,15,03,177	2,67,74,766
5. Students Facilities-			
(i) Salaries	...	91,20,139	
(ii) Other Charges	...	13,39,051	1,04,59,190

1999-2000
UNIVERSITY, ALIGRH

ACCOUNT FOR THE YEAR 1999-2000

INCOME		Amount Rs.	Amount Rs.
MAINTENANCE GRANT ACCOUNT			
1. Endowments and Grants			
A. Income from Investments	...		58,51,014
B. Grants-			
(i) University Grants Commission	...	1,70,83,80,000	
(ii) State Government	...	2,11,000	1,70,85,91,000
2. Fee from Students			
Academic	...	3,24,02,195	
Examination	...	24,15,236	
Other Fees	...	17,08,643	
			3,65,26,074
3. Hostels	...		22,79,018
4. Income from Building, Land and other properties-			
Building	...	19,73,772	
Lands and Gardens	...	11,76,574	31,50,346
5. Publications	...		32,009
6. Tehzibul Akhlaq/Nishant	...		21,141
7. Other Departments-			
Building Department (Sale of Tender Forms)	...		1,52,543
8. Electricity Department-			
Electricity Supply Services	...		49,76,137
9. Miscellaneous	...		50,57,044

INCOME AND EXPENDITURE

EXPENDITURE		Amount Rs.	Amount Rs.
6. Fellowship-	...		26,81,219
7. Hostels-			
(i) Salaries	...	8,51,80,919	
(ii) Other Charges	...	72,51,946	9,24,32,865
8. Publications-			
(i) Salaries	...	11,89,256	
(ii) Other Charges	..	6,12,956	18,02,212
9. Other Departments-			
(i) Salaries	...	4,80,84,403	
(ii) Other Charges		1,91,79,295	6,72,63,698
10. Auxillary Service-			
(i) Salaries	...	1,18,46,321	
(ii) Other Charges	...	4,23,82,457	54228,778
11. Miscellaneous-			
(i) Leave Salary	...		2,13,38,448
(ii) Encashment of Leave	..		1,63,26,953
(iii) Arrears of Pay	...		2,82,253
(iv) Arrears of V Pay commission	...		4,05,26,351
(v) Other Charges	...		7,55,85,960
12. Schools-			
(i) Salaries	...	5,13,41,664	
(ii) Other Charges	...	23,51,729	5,36,93,393
13. Provident Fund and Pension	..		25,53,64,018
14. Medical College Hospital-			
(i) Salaries	..	8,60,36,070	
(ii) Other Charges	...	1,25,43,770	9,85,79,840
Total	...		1,54,19,09,502
Excess of Receipt over Expenditure	...		22,70,96,160
GRAND TOTAL	...		1,76,90,05,662

(S.K. Amanullah)
Asstt. Finance Officer
(Accounts)

(S.A.H. Kazmi)
Deputy Finance Officer
(Accounts)

ACCOUNT FOR THE YEAR 1999-2000

INCOME		Amount Rs.	Amount Rs.
(A) MAINTENANCE GRANT ACCOUNT			
10. Schools			
Fee from Students	...	7,04,902	
Hostels	...	28,546	
Miscellaneous	...	14,84,307	22,17,755
11. Medical College Hospital-Miscellaneous Receipts	...		1,51,
Total: Maintenance Grant Account			1,76,90,05,662
GRAND TOTAL			1,76,90,05,662

(S. Shafiq Ahmad)
Finance Officer

INCOME AND EXPENDITURE

EXPENDITURE		Amount Rs.	Amount Rs.
1. Development of Higher Education & Research-			
1. IX - Plan Schemes		5,27,683	
(a) Salaries & Allowances	...	(–) 28,63,388	
(b) Other Charges	...	(–) 2,99,218	(–) 26,34,923
2. Special Development Scheme			
(a) Salaries & Allowances	...	11,20,551	
(b) Scholarship & Fellowship	...	(–) 1,86,998	
(c) Other Charges	...	57,41,601	66.75.154
3. Miscellaneous Schemes			
(a) Seminar / Symposium/works Shop/ Conference	...	2,86,269	
(b) Travel	...	5,90,410	
(c) Unassigned Grant	...	7,79,673	
(d) Other Charges	...	67,68,208	84,24,560
Total	...		1,24,64,791
Excess of Receipt over Expenditure...			1,92,96,323
GRAND TOTAL			3,17,61,114

(Mohammad Ahmad)
Dy. Finance Officer
(Grants)

ACCOUNT FOR THE YEAR 1999-2000

INCOME		Amount Rs.	Amount Rs.
Grant in Aid From U.G.C./Govt. of India for Development of Higher Education & Research			
1. IX - Plan Schemes	...		29,00,000
2. Special Development Schemes	...		2,01,43,331
3. Grant in aid for Miscellaneous Schemes from U.G.C., Govt., of India and U.P., Government	...		87,17,783
GRAND TOTAL			3,17,61,114

(S. Shafiq Ahmad)
Finance Officer

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	Amount Rs.	Amount Rs.
General Fund Account		
Permanent Endowments-		
Capitalised value of the donation received and investments made under Section 7 of of the A.M.U Act of 1920 as amended		30,00,000
Permanent Reserve Fund-		
Capitalised value of the donations received and transfers made ...		60,50,363
Special Floating Reserve Fund		
Capitalised value of the donations and Grants ...		10,40,221
Floating Reserve Fund-		
Capitalised value of the donation etc. ..		3,81,051
Trust Fund-		
Capitalised Value of the donation etc. ...	28,02,634	
Un-utilised Interest of the Fund ...	15,52,057	43,54,691
Miscellaneous Funds-		
Depreciation Fund ...		56,87,284
Building Fund ...	1,23,25,534	
Engineering College Fund ...	9,43,845	
Women's College Fund ..	23,560	1,32,92,939

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS		Amount Rs.	Amount Rs.
Investments			
(Various Accounts)			
Government Securities			
&			
Fixed Deposits	...		76,22,52,116
Buildings and Lands	...		36,55,05,654
Equipments	...	33,48,71,514	
Vehicle	...	42,50,936	33,91,22,450
Furniture	...		78,39,233
Books	...		6,41,84,615
Depreciation Fund	...		5,72,507
National Service Scheme	...		22,866
Miscellaneous Debit Balance-			
Permanent Advances	...		34,688
Suspense Accounts	...		59,787
Miscellaneous Debit Balances as per Annexure 4	...		25,43,810
Saving Bank Account (Capitalised value of Short Term Deposit)	...		28,64,31,578
Development Grant Accounts -			
Govt of India's Scheme in Unani Medicine of A.K. Tibbiya College		49,051	

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES		Amount Rs.	Amount Rs.
Miscellaneous Credits Balances-			
Current Expenses Fund-			
Interest on University Contribution towards provident Fund earmarked for construction of staff quarters	...		5,49,74,966
Students Aid Fund	...	10,95,151	
Compulsory Group Insurance Scheme/Deposit Linked Scheme	...	3,11,292	
Revolving Fund for Publication of Books in History Department	...	3,33,857	
Compulsory Deposit Scheme	...	8,164	
Capitalised value of Development Charges	...	1,91,01,471	
Corpus Fund	...	5,34,93,354	
Retirement Benefits	...	2,19,05,097	
Recoveries Suspense as per Annexure 4	...	7,16,934	
U.G.C. Incentive for Additional Income	...	7,48,633	
Inter Fund Advances	...	1,79,11,492	11,56,25,445
Excess of Receipt over Expenditure in Maintenance Grand Account	...		20,32,23,336
DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT-			
Capitalised value of the Grant received from the University Grants Commission for:-			
Building	...	28,70,94,380	
Books	...	6,44,13,502	
Equipments	...	36,95,67,869	
Furniture	...	75,44,487	
Excess of Receipt over Expenditure	...	2,33,69,958	
Recoveries Suspense (As per Annexure to Statement No. 4)	...	24,75,643	
Suspense Accounts	...	2,74,358	

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS		Amount Rs.	Amount Rs.
Development Grant Accounts-			
Govt. of India's Scheme of Literary Research Unit at A.K. Tibbiya College	...	23,602	
U.P. Govt. Post Partum Programme	...	91,94,152	
Hifzane Sehat Moalijat & Kulliyat A.K. Tibbiya Colllege	...	4,97,564	
Development Grant Saving Bank Account	...	16,28,942	1,13,93,311
Scholarship Account -			
Excess of Expenditure over Receipts	...		2,16,375

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES		Amount Rs.	Amount Rs.
Inter Fund Advance	...	2,31,56,330	
Interest on Investment	...	18,71,877	
Upgradation D/o Manafeul Aza A.K. Tibbiya College	..	2,32,000	
Upgradation D/o Amraz-e-Niswa Niswa A.K. Tibbiya College	...	2,32,000	78,02,32,404
Development Grant Scholarship Account			
Deposit Account of the Grants Received from the Council of Scientific & Industrial Research	...	20,60,087	
Inter Fund Advances	...	8,74,967	
Deposit Account of the Grant received for scholarship from various agencies (Misc. Schemes)	...	8,98,707	
Excess of Receipt over Expenditure	...	12,50,873	50,84,634
Deposit Accounts-			
Capitalised value of the Grants and Donations received from :			
Ford Foundation	..	21,94,321	
Kuwait Government	...	1,00,000	
Islamic Republic of Iran	...	1,13,000	
Shah Saud	...	6,90,109	
Construction of 100 Rooms	...	7,57,743	
Donation from Haji Ibrahim Ismail	...	1,09,841	
Enhanced Income from N.R.I. Contribution for Admission to M.B.B.S.	...	1,28,90,223	
Dental College	...	1,86,50,000	
Haji Saud Abdul Aziz Al-Babtain for construction of School	...	10,34,581	
Dr. Hasan Kamal (For modification and Construction of Union School Building	...	14,21,207	
Donation from Shakti Rais	...	50,000	

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS	Amount Rs	Amount Rs
A.M.U. Deposit Accounts-		
N I H Malaria scheme in Collaboration with University of Hawai U S A)	24,617	
Miscellaneous Debit Balance	1,20,843	
Grant under PL-480 Scheme	8,331	1 53,791
Loans and Advances as per Statement No 4		2 82,34,632
Medical College Fund-		
Inter Fund Advances	69,154	
Advance for Medical Students	4,843	73,997

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	Amount Rs	Amount Rs
Donation from H E M Obaid	2,00 000	
Donation from U A E. for Opening of New Courses	33,79,102	
Capital for Developmental Activities of the University -		
Donation from Dawakhana Tibbiya College	18 68,927	
Donation for Dental/Medical College	44 21 905	
Donation from Dr Shankar Dayal Sharma (President of India) for Gold Medal	15,000	
Mr. Ishrat Husain Usmani for Scholarship	26,140	
Late Mr. Mohd Amjad Ali for purchase of Library Books	6,25,707	
Donation from S Farooq (Zakat Fund)	1,24 762	
Mr. Sabih Ahmad Kamali	3,08 958	
Jammu & Kashmir Government	6 96,820	
Award in the name of Sohail Ahmad	2,296	
Donation from Afsari Begum	9 10,324	
Donation from Usha K. Baveja	16 500	
Donation from Khursheed Alam Khan	8,000	
Donation from Saeedullah Khan for Dental College	96 205	
Donation from S R Ali Zaidi	96,120	
Donation from Old Boys' Association, Kanpur	36,104	
University Guest House	12,36,008	
Donation from Dawakhana Tibbiya College & S S Mart	5,19,075	
P N Kaula	1,05,063	
Boys Fund, City High School	25,38,635	
Girls Fund, A M.U. Girls High School ...	46,44,169	
Development Charges for Special Ward, J.N M.C. Hospital	62,78,817	
Miscellaneous Grants & Deposit-		
(i) Project No. 644 Deptt. of Biotechnology under Dr Salahuddin Siddiqui ..	1,276	
(ii) Studies on Minor Forest Oil Saeed under Dr S M. Osman, Deptt. of Chemistry	22,954	
(iii) Security Deposit ...	91,91,191	

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS		Amount Rs.	Amount Rs.
Chair In Rural Economics :-			
Excess of Expenditure over receipts	...		3,157
Closing Balance :-			
Maintenance Grant Account	...		3,46,04,464
A.M.U. Development Grant Account	...		2,04,68,142
A.M.U. Deposit Accounts :-			
State Bank of India, A.M.U. Branch	...		3,62,65,663
Syndicate Bank, Extension Counter	...		5,449
Provident Fund Accounts :-			
S.B. Account & Current Account	...	5,68,132	
Allahabad Bank, A.M.U. Branch	...	20,312	
Post Office, Saving Bank	...	2,258	5,90,702

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	Amount Rs.	Amount Rs.
(iv) Miscellaneous Credit Balance as per Annexure to Statement No. 4	1,74,52,879	
(v) Vice-Chancellor's Fund	2,55,57,310	
Revolving Fund Deptt of Radiognosis	97,80,277	12,81,71,549
Provident Fund Account-		
Provident Fund	59,36,38,339	
Refundable Receipt	3,01,516	
Inter Fund Advances	68,80,279	60,08,20,134
Medical College Fund-		
Capitalised Value of donaiton and receipts		61,84,324
Dr. Wali Mohd. Waqf Fund -		
Capitalisedd value of donation	5,46,911	
Excess Receipts over Expenditure	54,342	6,01,253
Golden Jubilee Fund-		
Capitalised value of donation	1,98,680	
Excess Receipts over Expenditure	11,718	2,10,398
Sheikh Zayed Institute of Petroleum and Technology-		
Capitalised value of donation received	25,06,241	
Excess of Receipts over Expenditure	6,76,573	31,82,814
Permanent Islamic Solidarity Fund-		
Capitalised value of the donation	7,11,056	
Excess of Receipt over Expenditure	4,471	7,15,527
Bibi Fatima Waqf-		
Capitalised value of donation	1,16,013	
Excess of Receipt over Expenditure	2,615	1,18,628
State Bank of India, Endownment for setting up a Chair in Rural Economics-		
Capitalised value of donation		2,956

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS	Amount Rs.	Amount Rs.
Medical College Funds-		
State Bank of India, A.M.U. Branch ...		1,97,497
Dr. Wali Mohd. Waqf Alal-Aulad Account-		
State Bank of India, A.M.U. Branch ...		69,493
Golden Jubilee Fund-		
State Bank of India, A.M.U. Branch ...		26,077
Permanent Islami Solidarity Fund-		
Syndicate Bank, A.M.U. Extension Counter ...		1,11,790
Bibi Fatima Waqf-		
State Bank of India, A.M.U. Branch ...		66,539
Scholarship Accounts-		
Allahabad Bank, A.M.U. Branch ..		19,25,903
Scholarship Account (Backward Class Sch.)		43,575

BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	Amount Rs.	Amount Rs.
A.M.U. Revolving Fund for House Building Advance-		
Capitalised value of the amount received from U G C /Transferred from Deposit Account/Recoveries	2.71,77,420	
Excess of Receipt over Expenditure	1,44,17,669	4,15,95,089
Scholarship Accounts-		
Capitalised value of the Scholarship		21,42,278
A.M.U. Dev. Corpus Fund-		
Capitalised value of the donation	26,00,608	
Excess of Receipt over Expenditure ..	5,503	26,06,111
Scholarship Accounts- (Backward Class Students)		
Capitalised value of donation received'	20,000	
Excess of Receipts over Expenditure .	23,575	43,575
Students Welfare Fund-		
Capitalised value of donation received	81,67,878	
Excess of Receipts over Expenditure	18,97,709	1,00,65,587
Closing Balance-		
Chair in Rural Economics .		201
Sheikh Zaid Institute of Petroleum & Technoloy ..		13,956
Grand Total .		1,98,94,21,714

(S.K. Amanullah)
Asstt. Finance Officer
(Accounts)

(S.A.H. Kazmi)
Deputy Finance Officer
(Accounts)

ON 31st MARCH, 2000

ASSETS	Amount Rs.	Amount Rs.
Development Grant Scholarship Account		
State Bank of India, A.M.U. Branch ..		50,84,634
A.M.U. Students Welfare Fund-		
State Bank of India, A.M.U. Branch ...		19,03,368
A.M.U. Dev. Corpus Fund-		
State Bank of India, A.M.U. Branch .		36,111
Revolving Fund of House Building Advance to the Staff		
State Bank of India, A.M.U Branch ..		1,93,77,740
GRAND TOTAL...		1,98,94,21,714

(S. Shafiq Ahmad)
Finance Officer)

Audit Certificate

I have examined the Income and Expenditure Accounts for the year ended 31 March 2000 and the Balance Sheet as at 31 March 2000 of the Aligarh Muslim University, Aligarh. I have obtained all the information and explanation that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of information and explanations given to me and as shown in the books of the organisation.

Place : Allahabad
Date : 16.02.2001

Accountant General (Audit)-I,
Uttar Pradesh.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001